ईआरनेट इंडिया
शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त संस्था
भारत सरकार

5वां तल, ब्लॉक 1, ए विंग, डीएमआरसी आई.टी. पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली-110053
वेबसाइट: www.ernet.in

ईआरनेट इंडिया
शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त संस्था
भारत सरकार

ईआरनेट इंडिया
शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क

वार्षिक रिपोर्ट

2024—25

ईआरनेट इंडिया

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त संस्था, भारत सरकार

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना	5
अधिशासी परिषद्	7
सामान्य निकाय	9
ईआरनेट इंडिया का परिचय	11
मुख्य विशेषताएं	12
परियोजनाएं और सेवाएं	18
अनुसंधान एवं विकास	33
संगठनात्मक मामले	38
ईआरनेट इंडिया के क्षेत्रीय केंद्रों के संपर्क विवरण और पता	45

प्रस्तावना

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क ऑफ इंडिया (ईआरनेट इंडिया) ने देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ स्थापित, ईआरनेट इंडिया ने भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी की शुरुआत करने और स्वदेशी नेटवर्किंग क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय के साथ, यह एक विश्वसनीय संस्था के रूप में उभरी है, जो न केवल शैक्षणिक एवं अनुसंधान समुदायों को आवश्यक आईसीटी सेवाएं प्रदान करती है, बल्कि भावी प्रौद्योगिकियों में नवाचार को भी बढ़ावा देती है।

अपने व्यापक अनुभव के साथ, ईआरनेट इंडिया ने प्रशिक्षित पेशेवरों का एक समूह तैयार करके और नेटवर्किंग सेवाओं में मानक स्थापित करके क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थलीय और वीसैट–आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी, होस्टिंग सेवाएँ और डोमेन पंजीकरण से लेकर स्मार्ट कक्षाओं, वाई–फ़ाई–सक्षम परिसरों और उन्नत ई–कक्षा समाधानों की स्थापना तक, ईआरनेट इंडिया शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच की आधारशिला के रूप में कार्य करता रहा है। .IN रजिस्ट्री के अंतर्गत शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र के लिए डोमेन नामों के अनन्य रजिस्ट्रार के रूप में, यह 18,500 से अधिक सक्रिय डोमेन का प्रबंधन करता है और वेबसाइट एज़ अ सर्विस और लर्निंग मैनेजमेंट एज़ अ सर्विस जैसी सुरक्षित, विश्वसनीय और मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान करता है, जो संस्थानों को बिना किसी तकनीकी बाधा के आईसीटी का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।

ईआरनेट इंडिया का योगदान कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर डेटा सेंटर के इन्फ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति तक फैला हुआ है। यह देश भर के संस्थानों को आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव में सहायता प्रदान करता है और लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार जैसे दूरस्थ द्वीपों में विश्वसनीय डिजिटल सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित वीसैट नेटवर्क का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, ईआरनेट इंडिया देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के माध्यम से आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाकर डिजिटल खाई को पाटने में योगदान दे रहा है।

वैश्विक स्तर पर, ईआरनेट इंडिया ने एडुरोम सेवाओं को सक्षम करके भारतीय शिक्षा जगत को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक ताने–बाने में एकीकृत किया है। एडुरोम एक सुरक्षित, निर्बाध वाई–फाई रोमिंग पहल है जो अब 312 से ज्यादा भारतीय संस्थानों में सक्रिय है और दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में अंतर–संचालनीय

है। इसके साथ ही, ईआरनेट ने भारत के कई विश्वविद्यालयों, जिनमें हाल ही में पटना विश्वविद्यालय भी शामिल है, में वाई–फाई–सक्षम कैंपस नेटवर्क लागू किया है, जिससे कहीं भी, कभी भी कनेक्टिविटी के लिए एक वातावरण तैयार हुआ है।

उल्लेखनीय है कि ईआरनेट इंडिया की भूमिका केवल सेवा वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान एवं विकास सहयोग तक भी विस्तृत है। इसने आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, एनएसयूटी दिल्ली, सी–डैक आदि जैसे अग्रणी संस्थानों के साथ मिलकर टैक्टाइल इंटरनेट, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रणी कार्य किया है। 400 किलोमीटर के वॉन लिंक पर रीयल–टाइम टेलीऑपरेशन, स्वदेशी क्यूकेडी टेस्टबेड, एसडीएन–सक्षम क्वांटम पाथ कंट्रोल और आईओटी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क जैसे प्रदर्शन ईआरनेट इंडिया की नवोन्मेषी क्षमता के प्रमाण हैं। ये पहल न केवल राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करती हैं, बल्कि अगली पीढ़ी के नेटवर्किंग में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में भी योगदान देती हैं।

जैसे–जैसे भारत अपनी डिजिटल नींव को मज़बूत कर रहा है और उन्नत तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखता है, ईआरनेट इंडिया का मिशन सेवा–उन्मुख और भविष्य–केंद्रित दोनों बना हुआ है। स्थिर आईसीटी वितरण को अत्याधुनिक अनुसंधान के साथ जोड़कर, ईआरनेट इंडिया ने खुद को भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक साबित किया है। डिजिटल विभाजन को पाटने, सुरक्षित संचार नेटवर्क को बढ़ावा देने और उभरते अनुसंधान को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, ईआरनेट इंडिया देश के शिक्षण और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है।

ईआरनेट इंडिया की अधिशासी परिषद

1	**श्री अश्विनी वैष्णव** माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, नई दिल्ली	**अध्यक्ष** 01.04.2024 से 31.03.2025
2	**श्री राजीव चंद्रशेखर** माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली	**उपाध्यक्ष** 01.04.2024 से 04.06.2024
	श्री जितिन प्रसाद माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली	09.06.2024 से 31.03.2025
3	**सचिव** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**कार्यकारी उपाध्यक्ष** 01.04.2024 से 31.03.2025
4	**अपर सचिव** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
5	**अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025

6	**अपर सचिव/संयुक्त सचिव (एबीसी प्रभाग)** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
7	**समूह समन्वयक (ईआरनेट इंडिया)** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
8	**अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
9	**सचिव या उनके प्रतिनिधि,** दूरसंचार विभाग	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
10	**एआईसीटीई के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
11	**यूजीसी के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
12	**आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
13	**महानिदेशक** भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट–इन) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
14	**महानिदेशक** ईआरनेट इंडिया	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025

ईआरनेट इंडिया का सामान्य निकाय

1	**श्री अश्विनी वैष्णव** माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, नई दिल्ली	**अध्यक्ष** 01.04.2024 से 31.03.2025
2	**श्री राजीव चंद्रशेखर** माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली	**उपाध्यक्ष** 01.04.2024 से 04.06.2024
	श्री जितिन प्रसाद माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली	09.06.2024 से 31.03.2025
3	**सचिव** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**कार्यकारी उपाध्यक्ष** 01.04.2024 से 31.03.2025
4	**अपर सचिव** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
5	**अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
6	**अपर सचिव/संयुक्त सचिव (एबीसी प्रभाग)** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025

7	**समूह समन्वयक (ईआरनेट इंडिया)** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
8	**अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
9	**सचिव या उनके प्रतिनिधि,** दूरसंचार विभाग	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
10	**एआईसीटीई के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
11	**यूजीसी के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
12	**आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि**	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
13	**महानिदेशक** भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट–इन) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025
14	**महानिदेशक** ईआरनेट इंडिया	**सदस्य** 01.04.2024 से 31.03.2025

ईआरनेट इंडिया का परिचय

ईआरनेट इंडिया एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। यह अधिशासी परिषद के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में कार्य करती है।

माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अधिशासी परिषद के अध्यक्ष हैं। इस परिषद के सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं और प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों, सरकारी संगठनों और व्यावसायिक निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ईआरनेट इंडिया देश के शैक्षणिक और शोध संस्थानों को अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इंट्रानेट और इंटरनेट से जोड़कर उन्हें अभिनव रूप से सेवा प्रदान कर रहा है। देश में कहीं भी स्थित संस्थान अब ईआरनेट नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। ईआरनेट इंडिया देश भर में अपने निम्नलिखित 03 शहरों के माध्यम से देश के संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाएँ प्रदान करता है:

- ईआरनेट इंडिया मुख्यालय, नई दिल्ली
- ईआरनेट इंडिया क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु और वीसैट हब स्थान, बेंगलुरु
- ईआरनेट इंडिया क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई

उपयोगकर्ता साइटों को तकनीकी सहायता एवं सहयोग उपरोक्त 3 स्थानों से प्रदान की जा रही है। एसटीपीआई बेंगलुरु में स्थित ईआरनेट इंडिया वीसैट हब, इंट्रानेट और इंटरनेट एक्सेस के लिए उपग्रह के माध्यम से वीसैट लिंक प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

वित्तीय विशेषताएँ

- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सोसायटी का कुल राजस्व ₹167.88 करोड़ और शुद्ध अधिशेष ₹12.30 करोड़ है। 31.03.2025 तक सोसायटी का पूंजीगत कोष ₹215.28 करोड़ तक पहुँच गया है।

तकनीकी विशेषताएँ

- ईआरनेट इंडिया के पास जीसैट उपग्रह पर सी–बैंड में संचालित वीसैट नेटवर्क है जो देश भर में स्थित संस्थानों को इंटरनेट और इंट्रानेट पहुँच के लिए वीसैट आधारित कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम है। मास्टर अर्थ स्टेशन (एमईएस) बेंगलुरु में स्थित है और नेटवर्क संचालन केंद्र (एनओसी) के रूप में कार्य कर रहा है। नेटवर्क ने जीसैट पर 103 मेगाहर्ट्ज उपग्रह बैंडविड्थ का उपयोग एनकेएन के लिए 02 (दो) स्थलों (कवरत्ती और पोर्ट ब्लेयर में) और लक्षद्वीप सूचना प्रौद्योगिकी सेवा सोसाइटी (एलआईटीएसएस) के लिए लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में 09 (नौ) स्थलों को उच्च क्षमता वाले वीसैट लिंक सफलतापूर्वक प्रदान करने में किया है।
- **टेली–एजुकेशन प्रोजेक्टः** ईआरनेट इंडिया ने विभिन्न भारतीय राज्यों में हजारों सरकारी स्वामित्व वालेधनियंत्रित स्कूलों और डीआईईटी में एसवीसी की स्थापना से प्राप्त विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करके स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने में अन्य राज्यों की सहायता करना शुरू कर दिया है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) ने ईआरनेट इंडिया को ष्टेली–एजुकेशन प्रोजेक्ट – एनईआर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम की स्थापनाष नामक एक परियोजना भी प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य सिक्किम और असम में 75 स्क. ूलों और 4 डीआईईटी में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करना है। सभी 75 स्कूलों और 4 डीआईईटी, और एनसीआर में केंद्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक समर्पित परियोजना ज्ञान वेब पोर्टल के साथ कार्य के निर्दिष्ट दायरे के अनुसार परियोजना के तहत सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अनुमोदित और एमईआईटीवाई और जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित **"एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में बुद्धिमान शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्मार्ट) की स्थापना"** नामक परियोजना को ईआरनेट इंडिया द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इस पि. रयोजना का उद्देश्य नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर ईएमआर स्कूलों में शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना है, जो सीखने के परिणाम को बेहतर बनाने और ईएमआर स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करता है। इस परियोजना में कुल 328 ईएमआर स्कूल शामिल हैं। चरण–1 और चरण–2 के तहत 174 ईएमआरों में इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) कनेक्टिविटी के साथ बुद्धिमान शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का लक्ष्य हासिल किया गया है और परियोजना के तहत कुल 1392 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं। चरण 3 के अंतर्गत अन्य 154 ईएमआर स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर हैं।
- **अनुसंधान एवं विकासः** ईआरनेट इंडिया के चेन्नई और बेंगलुरु में समर्पित अनुसंधान एवं विकास कार्यालय हैं जहाँ नवीन परियोजनाओं की सक्रिय रूप से परिकल्पना की जा रही है और सहयोगात्मक रूप से अनुसंधान या विकास किया जा रहा है। ईआरनेट इंडिया क्वांटम संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण ब्रॉडबैंड, स्पर्शनीय इंटरनेट, लाईफाई, पावर लाइन संचार, स्मार्ट विलेज और स्मार्ट जल प्रबंधन पर अनुसंधान गतिविधियाँ संचालित कर रहा है।
- ईआरनेट इंडिया क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) के क्षेत्र में एमईआईटीवाई द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आईआईटी मद्रास, सी–डैक, सेट्स और एनआईसी के साथ एमएक्यूएएन पहल के एक भाग के रूप में, क्वांटम प्रोटोकॉल के परीक्षण हेतु स्वदेशी हार्डवेयर के साथ 11 किलोमीटर की छोटी दूरी के फाइबर लिंक का एक परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। ईआरनेट इंडिया ने अपने नोड और साझेदार संस्थानों के बीच

महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए और राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में भी योगदान दिया। आईआईटी इंदौर और एनएसयूटी दिल्ली के सहयोग से, ईआरनेट इंडिया साझा फाइबर नेटवर्क पर क्यूकेडी की खोज कर रहा है और सुरक्षित, आपदा–रोधी संचार की योजना बनाने में सहायता कर रहा है। ईआरनेट इंडिया, दूरसंचार विभाग की टीटीडीएफ योजना के तहत आईआईटी मद्रास द्वारा संचा. लित एओसी परीक्षण केंद्र का भी हिस्सा है, जो क्यूकेडी सुरक्षा हमलों का पता लगाने और वैकल्पिक सुरक्षित रास्तों पर स्विच करने के लिए एसडीएन का उपयोग करने पर केंद्रित है।

- ईआरनेट इंडिया, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित परियोजना **"एक व्यापक आईओटी सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और सैंडबॉक्स"** के एक भाग के रूप में, आईओटी उपकरणों में नेटवर्क और एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक कार्यात्मक आईओटी सैंडबॉक्स विकसित कर रहा है। इस परियोजना में प्रासंगिक मानकों के अनुरूप, क्लाउड इंटरफेसिंग सहित, अनुरूपता सत्यापन के लिए स्वदेशी सॉफ़्टवेयर टूल का निर्माण भी शामिल है।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से प्राप्त धनराशि से, ईआरनेट इंडिया ने **"पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार में वाई–फाई सक्षम परिसर नेटवर्क स्थापित करना"** परियोजना को क्रियान्वित किया है, जो मार्च 2024 में शुरू हुई। पटना विश्वविद्यालय के संकाय, कर्मचारी, छात्र, आगंतुक और अतिथि नेटवर्क का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं। यह परियोजना संचालन और रखरखाव के अंतर्गत सफलतापूर्वक चल रही है।
- **एडुरोम:** यह एक वैश्विक सेवा है जो भाग लेने वाले संस्थानों के छात्रों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों को अपने परिसर में और अन्य भाग लेने वाले संस्थ. ानों में जाते समय, केवल अपना लैपटॉप खोलकर या अपने स्मार्टफोन या अन्य पोर्टेबल डिवाइस को वाई–फाई के माध्यम से सक्रिय करके इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह सेवा शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को साझा वर्चुअल वाई–फाई परिसरों पर एक सुरक्षित, निर्बाध विश्वव्यापी रोमिंग एक्सेस सेवा प्रदान करके 'एक विश्व एक कनेक्टिविटी' के उद्देश्य को साकार करती है।

ईआरनेट इंडिया ने 'एडुरोम' का उपयोग करके वैश्विक रूप से जुड़े संस्थानों की सूची में 312 भारतीय संस्थानों को शामिल किया है।

- **डोमेन पंजीकरण:** ईआरनेट इंडिया दो दशकों से भी अधिक समय से शिक्षण और अनुसंधान क्षेत्र के लिए **.IN रजिस्ट्री के अंतर्गत डोमेन नाम पंजीकरण हेतु एक विशिष्ट रजिस्ट्रार** रहा है। शैक्षणिक डोमेन नाम आवंटित करके और एकीकृत डिजिटल सेवाएँ प्रदान करके, ईआरनेट इंडिया भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन उप. स्थिति का समर्थन और सुनिश्चित करता है, बल्कि डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, संस्थानों को विकसित हो रहे डिजिटल और शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए सशक्त भी बनाता है।
- आज तक, ईआरनेट इंडिया ने देश भर के शैक्षणिक और शोध संस्थानों को **कई हज़ार डोमेन नाम प्रदान किए हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स, आईआईएससी, सीएसआईआर** और कई अन्य प्रमुख संस्थान शामिल हैं।
- ईआरनेट इंडिया निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत डोमेन नाम पंजीकृत करता है:
  - ac.in- शैक्षणिक संस्थानों के लिए
  - edu.in- शिक्षण संस्थानों के लिए
  - res.in- शोध संस्थानों के लिए
- **अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नाम (आईडीएन)** के तहत, ईआरनेट इंडिया निम्नलिखित के अंतर्गत भी डोमेन पंजीकृत करता है:
  - विद्या. भारत
  - शिक्षा. भारत
  - शोध. भारत
- **वेब होस्टिंग:** ईआरनेट इंडिया विभिन्न शैक्षणिक और शोध संस्थानों/संग. ठनों को वेब होस्टिंग सेवाएँ प्रदान कर रहा है। ईआरनेट इंडिया ने विभिन्न संस्थाना/संगठनों को उनकी वेबसाइट होस्ट करने के लिए समर्पित और साझा

आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने हेतु क्लाउड पर वेब होस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित की है।

आगे का रास्ता

उभरती प्रौद्योगिकियां, आईसीटी और क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग संचार और अनुसंधान एवं विकासः

- **स्मार्ट शिक्षाः** एक आईसीटी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, ईआरनेट इंडिया ने स्मार्ट शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की संकल्पना की है और उसे लागू किया है। आगे बढ़ते हुए, स्मार्ट शिक्षा के अगले चरण इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड, प्रोजेक्टर और टैबलेट के एकीकरण के माध्यम से स्कूलों के लिए उच्च–गुणवत्ता वाले और अभिनव डिजिटल शिक्षण समाधान प्रदान करने पर केंद्रित होंगे। ईआरनेट इंडिया ऐसे डिजिटल क्लासरूम बनाने में मदद करता है जो जुड़ाव, अन्तरक्रियाशीलता और सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देते हैं। ये तकनीकें शिक्षकों को मल्टीमीडिया पाठ और इंटरैक्टिव सामग्री को शामिल करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और मौजूदा आईसीटी लैब्स को उन्नत करने में सक्षम बनाएँगी ताकि छात्रों को एक अधिक एकीकृत और गतिशील शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके। यह दृष्टिकोण छात्रों को कम उम्र से ही आलोचनात्मक सोच, समस्या–समाधान कौशल और भविष्य के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उनका सर्वांगीण विक. ास सुनिश्चित होगा।
- **सॉफ्टवेयर समाधान सेवाएंः** ईआरनेट इंडिया विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को एंड–टू–एंड सॉफ्टवेयर समाधान सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें ब्लॉकचेन, आ. र्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी प्रौद्यो. गिकियों का उपयोग करने वाले उन्नत वेब और गैर–वेब सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन और प्लेटफॉर्म की डिजाइनिंग, विकास और तैनाती शामिल है।
- **डोमेन सेवाएँः** अपनी डोमेन सेवाओं के एक महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में, ईआरनेट इंडिया तीन नए डोमेन एक्सटेंशन लॉन्च करने की योजना बना रहा हैः school.in, coaching.in और alumni.in। इन डोमेन का उद्देश्य शैक्षिक और व्यावसायिक समुदायों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान, संरचित वर्गीकरण और बेहतर साइबर सुरक्षा प्रदान करना है।

अनुसंधान और विकासः

ईआरनेट इंडिया प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ समर्पित सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से अगली पीढ़ी की नेटवर्किंग तकनीकों में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखेगा। ईआरनेट इंडिया क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) में अपने महत्वपूर्ण योगदान का विस्तार भी करेगा, आईआईटी मद्रास के साथ एमएक्यूएएन पहल से परिणामों का लाभ उठाएगा और आईआईटी इंदौर और एनएसयूटी दिल्ली के साथ साझा फाइबर क्यूकेडी टेस्टबेड पर चल रहे सहयोग और क्यूकेडी सुरक्षा हमलों के परिदृश्यों पर उन्नत ऑप्टिकल संचार (एओसी) टेस्टबेड कंसोर्टियम के परिणामों का लाभ उठाएगा। मुख्य केंद्र आईओटी सैंडबॉक्स पहल पर भी होगा, जहां ईआरनेट इंडिया आईओटी फंक्शनल सैंडबॉक्स के तहत संचार प्रोटोकॉल के अनुरूप सत्यापन के लिए स्वदेशी उपकरण विकसित करने में योगदान देगा।

परियोजनाएं और सेवाएं

ईआरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर

ईआरनेट नेटवर्क स्थलीय और उपग्रह आधारित वाइड एरिया नेटवर्क का एक विवेकपूर्ण मिश्रण है। सैटेलाइट वाइड एरिया नेटवर्क (वॉन) वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीसैट) का उपयोग करता है, जिसे आसानी से स्थापित किया जा सकता है और यह देश के दूरदराज के इलाकों में विश्वसनीय और तेज़ इंटरनेट/इंट्रानेट पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।

चित्र 1 और 2: ईआरनेट इंडिया वीसैट उपग्रह चित्र

एडुरोम – वैश्विक वाईफ़ाई सक्षम संस्थान

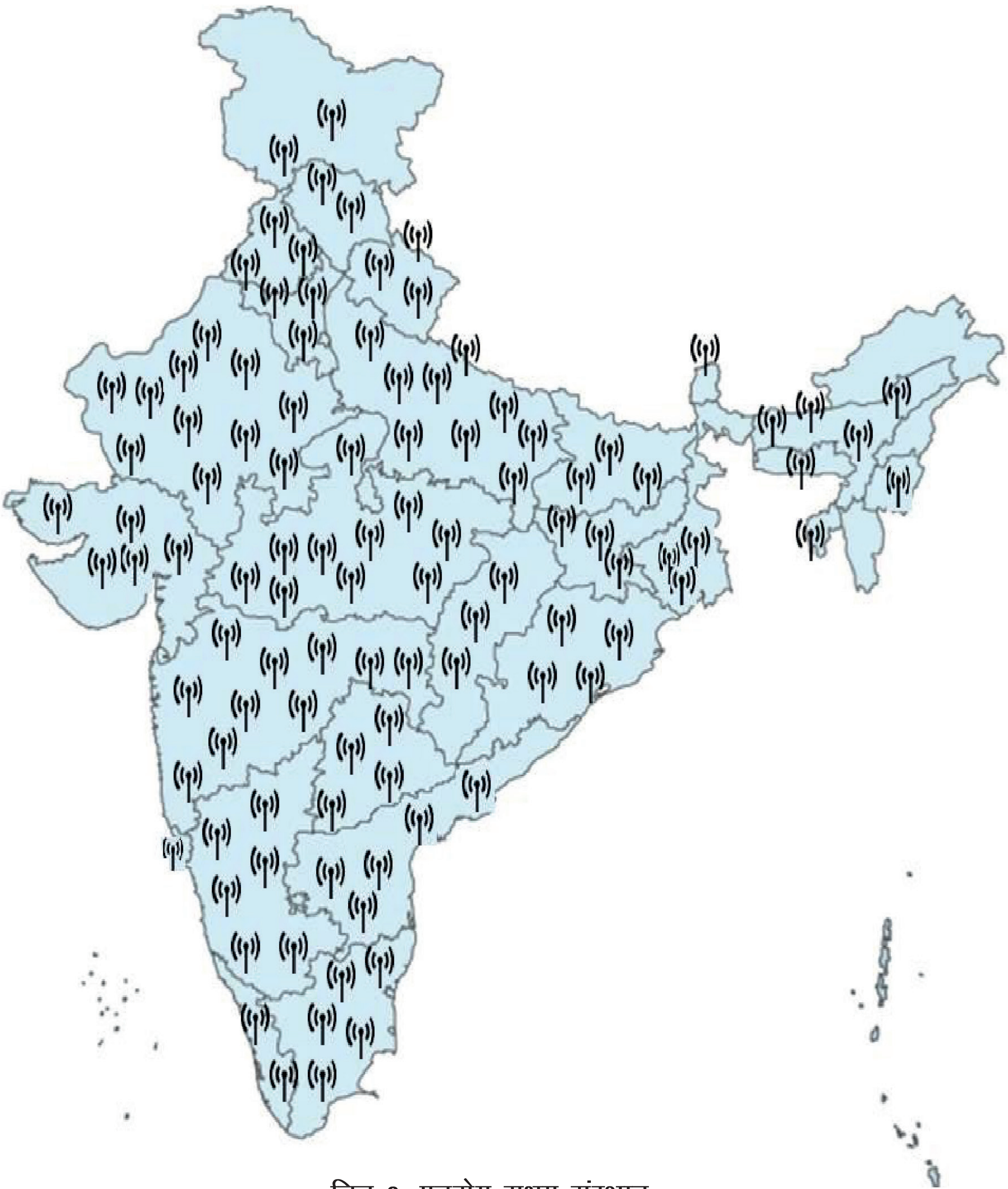

चित्र 3. एडुरोम सक्षम संस्थान

नेटवर्किंग संचारः–

वीसैट नेटवर्कः देश भर के शैक्षणिक और शोध संस्थानों को इंटरनेट और इंट्रानेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ईआरनेट इंडिया जीसैट उपग्रह का उपयोग करके सी–बैंड में वीसैट नेटवर्क का संचालन करता है। बेंगलुरु स्थित मास्टर अर्थ स्टेशन (एमईएस) नेटवर्क संचालन केंद्र (एनओसी) के रूप में कार्य करता है। एमईएस में 9.2 मीटर का एंटीना लगा है। वर्तमान में, नेटवर्क अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा आवंटित जीसैट–18 उपग्रह पर 103 मेगाहर्ट्ज ट्रांसपोंडर बैंडविड्थ का उपयोग करता है और यही बैंडविड्थ उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट के लिए आवंटित है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) के लिए कवरत्ती और पोर्ट ब्लेयर में 2 (दो) उच्च क्षमता वाले वीसैट लिंक और लक्षद्वीप सूचना प्रौद्योगिकी सेवा सोसाइटी (एलआईटीएसएस) के लिए विभिन्न लक्षद्वीप द्वीपों पर 9 (नौ) उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट लिंक सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं।

वीसैट लिंक की मुख्य विशेषताएँः वीसैट नेटवर्क, जीसैट उपग्रह की सी–बैंड आवृत्ति पर संचालित होता है। इसलिए, ये वीसैट लिंक बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम स्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। यह वीसैट लिंक को अत्यधिक विश्वसनीय बनाता है और पूरे देश में निरंतर संचालन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सुदूर और दूर–दराज के इलाकों में भी सभी मौसमों में कुशलतापूर्वक काम करते हैं।

उच्च क्षमता वाला एससीपीसी वीसैट

उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी पॉइंट–टू–पॉइंट कनेक्शन प्रदान करते हैं। 99% से अधिक अपटाइम के साथ, ये उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट 100 एमबीपीएस तक की उच्च डेटा दर प्रदान कर सकते हैं। ये बड़े लैन कॉन्फ़िगरेशन वाले संगठनों के लिए उपयुक्त हैं जो उच्च अपटाइम की मांग वाले महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का संचालन करते हैं।

दो उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट लिंक, एक कवरत्ती, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीपसमूह में और दूसरा पोर्ट ब्लेयर, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में

ईआरनेट इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एनकेएन परियोजना के लिए दो उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट लिंक स्थापित किए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कवरत्ती में और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर में। ये लिंक पूरे वर्ष चालू रहे हैं और 53 मेगाहर्ट्ज के कुल उपग्रह बैंडविड्थ आवंटन के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को सफलतापूर्वक सेवा प्रदान कर रहे हैं।

चित्र 4: एनकेएन परियोजना के लिए लक्षद्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश कवरत्ती में उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट

लक्षद्वीप सूचना प्रौद्योगिकी सेवा सोसायटी (एलआईटीएसएस) के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के 09 द्वीपों पर उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट लिंक

ईआरनेट इंडिया द्वारा लक्षद्वीप के अगत्ती, अमिनी, एंड्रोट, चेतलात, कदमत, कल्पेनी, कवरत्ती, किल्टन और मिनिकॉय में संयुक्त 50 मेगाहर्ट्ज सैटेलाइट बैंडविड्थ वाले नौ उच्च क्षमता वाले एससीपीसी वीसैट लिंक स्थापित और संचालित किए गए। इन लिंक द्वारा उपयोग की जा रही कुल डेटा दर 85 एमबीपीएस तक है।

एडुरोम सेवाएँ

भारत में एडुरोम सेवाएं: एडुरोम का अर्थ है एजुकेशन रोमिंग। यह शोध और शैक्षिक समुदाय के लिए विकसित एक सुरक्षित, विश्वव्यापी रोमिंग एक्सेस सेवा है। यह भाग लेने वाले संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों को अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में आने पर पूरे परिसर में इंटरनेट के लिए वाई–फाई एक्सेस प्रदान करती है। श्एडुरोमश सेवा दुनिया भर के 100 से ज्यादा क्षेत्रों में उपलब्ध है।

ईआरनेट इंडिया भारत के लिए राष्ट्रीय एडुरोम ऑपरेटर है और सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भारतीय एडुरोएम राष्ट्रीय महासंघ सेवा से जोड़ने का केंद्र बिंदु है। भारत में, लगभग 312 विश्वविद्यालय/संस्थान एडुरोम नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। विश्वविद्यालयों/संस्थानों में भारतीय और विदेशी प्रतिभागियों द्वारा एडुरोएम सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया गया है।

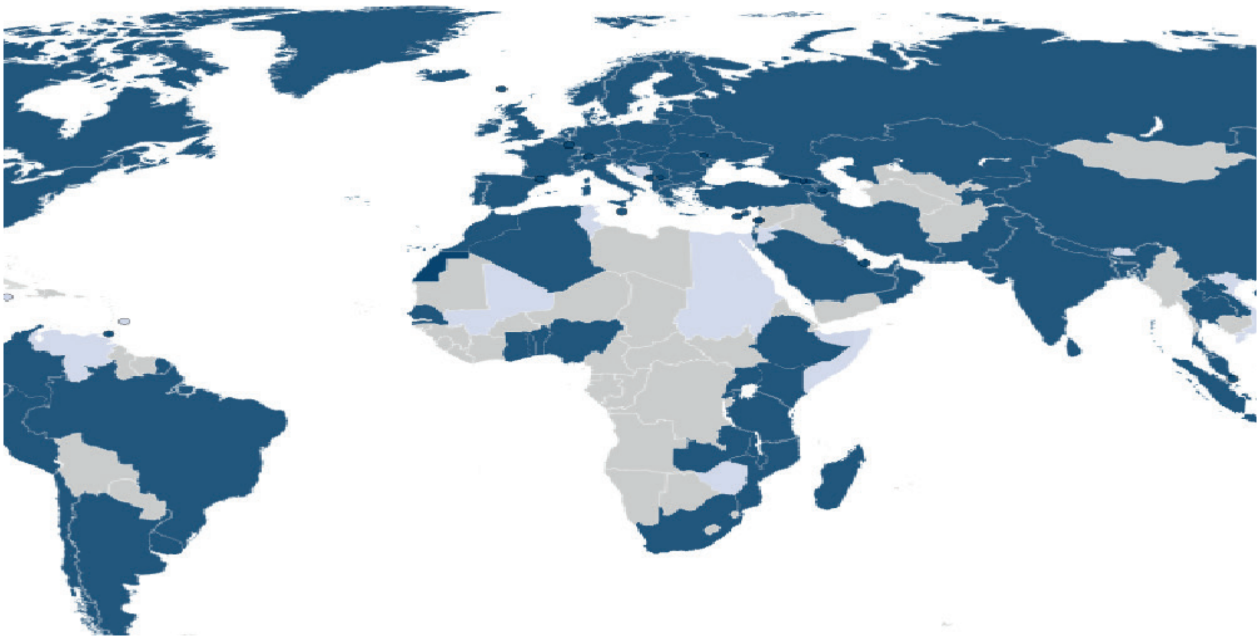

चित्र 5: एडुरोम की विश्वव्यापी उपस्थिति

होस्टिंग सेवाएं

ईआरनेट इंडिया देश के विभिन्न शैक्षणिक/शोध संस्थानों और विभागों/संगठनों को वेब होस्टिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। ईआरनेट इंडिया ने क्लाउड पर वेब होस्टिंग का इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। वर्तमान में, ईआरनेट इंडिया 40 संस्थानों को वेब होस्टिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
2. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
3. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
4. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
5. बी.पी.एस. राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर
6. संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
7. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
8. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद
9. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
10. परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी
11. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
12. केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

अनुप्रयोग सेवाएँ

डोमेन पंजीकरण: ईआरनेट इंडिया .in रजिस्ट्री के तहत शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र के लिए डोमेन नाम पंजीकरण के लिए एक विशेष रजिस्ट्रार है।

चित्र 6: ईआरनेट इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली डोमेन नाम पंजीकरण सेवाएं

.IN रजिस्ट्री के अंतर्गत, ईआरनेट इंडिया ac.in, edu.in और res.in, विद्या.भारत, शिक्षा.भारत और शोध.भारत के तहत तीसरे स्तर के डोमेन नाम पंजीकृत कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, ईआरनेट इंडिया ने लगभग 6175 शैक्षणिक, शिक्षण और शोध डोमेन पंजीकृत/नवीनीकृत किए। वर्तमान में, ईआरनेट इंडिया की डोमेन सेवाओं के अंतर्गत 18500 से अधिक सक्रिय डोमेन पंजीकृत हैं।

डोमेन पंजीकरण सेवाओं के लाभ:

- **पहचान और विश्वसनीयता:** एक समर्पित शैक्षिक डोमेन का उपयोग करने से संस्थान की विश्वसनीयता और पहचान ऑनलाइन बढ़ जाती है, जिससे छात्रों, अभिभावकों और संकाय के लिए पहचान और पहुंच आसान हो जाती है।
- **सुरक्षा और विश्वसनीयता:** शैक्षिक डोमेन सामान्य डोमेन की तुलना में उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑनलाइन साझा की गई जानकारी सुरक्षित है।
- **मानकीकरण:** एक एकीकृत और मानकीकृत डोमेन संरचना यह सुनिश्चित करती है कि शैक्षिक वेबसाइटें आसानी से पहचानी जा सकें और सभी प्लेटफार्मों पर सुलभ हों, जिससे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए अधिक संगठित और पेशेवर ऑनलाइन उपस्थिति में योगदान मिलता है।

- **दृश्यता और पहुँच में वृद्धिः** शिक्षण डोमेन संस्थानों को इंटरनेट पर बेहतर दृश्यता प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे वे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित व्यापक दर्शकों तक पहुँच पाते हैं।
- **बेहतर व्यावसायिकताः** एक विशिष्ट डोमेन संस्थान की व्यावसायिक उपस्थिति में वृद्धि करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और मान्यता बढ़ती है।
- **शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्रः** इन डोमेन का उद्देश्य एक अधिक मजबूत और आसानी से नेविगेट करने योग्य शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को एक समान संरचना के तहत जोड़ता है
- **ईमेल पता का लाभः** name@abc.edu.in जैसे शैक्षणिक डोमेन वाले ईमेल पता को अधिक गंभीरता से लिया जाता है और अक्सर शैक्षणिक संसाधनों, पत्रिकाओं और छूटों तक पहुँचने के लिए इनकी आवश्यकता होती है;
- **सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लाभः** शैक्षणिक डोमेन वाली वेबसाइटें उच्च सर्च इंजन रैंकिंग से लाभान्वित हो सकती हैं क्योंकि उन्हें आधिकारिक स्रोत माना जाता है;
- **सहयोग और नेटवर्किंग के अवसरः** एक शैक्षणिक डोमेन का हिस्सा होने से अन्य संस्थानों और छात्रों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग की सुविधा मिलती है;
- **अनुदान और वित्तपोषणः** कई अनुदान और वित्तपोषण के अवसर केवल अकादमिक डोमेन वाले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं;
- राष्ट्रीय पहचानः ".ac.in, .edu.in, और .res.in" का उपयोग संस्थानों को भारत के शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरेखित करता है और राष्ट्र के शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऑनलाइन मजबूत करता है

अपने डोमेन उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च–गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, ईआरनेट इंडिया मूल्य–वर्धित सेवाओं (वीएएस) के एक समूह के साथ डीएनएस सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें वेबसाइट एज ए सर्विस (डब्ल्यूएएएस) और लर्निंग मैनेजमेंट एज ए सर्विस (एलएमएएएस) शामिल हैं।

मूल्यवर्धित सेवाओं के अंतर्गत, कोई भी संस्थान (डोमेन उपयोगकर्ता) केवल कुछ क्लिक और न्यूनतम तकनीकी विशेषज्ञता के साथ आसानी से अपनी अनुकूलित वेबसाइट और एलएमएस पोर्टल बना सकता है। ये सेवाएँ संस्थान के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और प्रभावी शैक्षिक वितरण में सहायता के लिए तैयार की गई हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में इंटेलिजेंट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर (स्मार्ट) की स्थापना

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अनुमोदित और एमईआईटीवाई और जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित **"एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में बुद्धिमान शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्मार्ट) की स्थापना"** नामक परियोजना को ईआरनेट इंडिया द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर ईएमआरएस में शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जो सीखने के परिणाम को बेहतर बनाने और ईएमआरएस में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करता है। परियोजना में कुल 328 ईएमआर स्कूल शामिल हैं। चरण–1 और चरण–2 के तहत 174 ईएमआरएस में इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) कनेक्टिविटी के साथ बुद्धिमान शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का लक्ष्य हासिल किया गया है और परियोजना के तहत कुल 1392 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं। चरण–3 के अंतर्गत अन्य 154 ईएमआर स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और इसके दिसंबर, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

चित्र 7: ईएमआर स्कूल द्वारा उपयोग की जाने वाली डिजिटल स्मार्ट कक्षाएं

पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार में वाई–फाई सक्षम कैम्पस नेटवर्क की स्थापना

"पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार में वाई–फाई सक्षम कैंपस नेटवर्क स्थापित करना" परियोजना को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ईआरनेट इंडिया ने यह कार्य पूरा कर लिया है और पटना विश्वविद्यालय में वाई–फाई सक्षम कैंपस नेटवर्क को विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए चालू कर दिया है। वाई–फाई कैंपस नेटवर्क नियंत्रक आधारित है और नेटवर्क की केंद्रीकृत निगरानी और प्रबंधन के साथ सुरक्षित, उच्च गति वाला वायरलेस नेटवर्क प्रदान करता है। इस नेटवर्क ने परिसर के छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अतिथियों आदि को टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि जैसे स्मार्ट वाई–फाई उपकरणों के माध्यम से साइबर दुनिया में प्रवेश करने, नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र से किसी भी समय जानकारी प्राप्त करने, प्राप्त करने और पोस्ट करने में सक्षम बनाया है। यह सुविधा सफलतापूर्वक चल रही है और संचालन एवं रखरखाव के चरण में है।

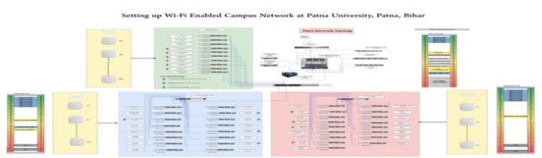

चित्र 8: पटना विश्वविद्यालय वाई–फाई परिसर

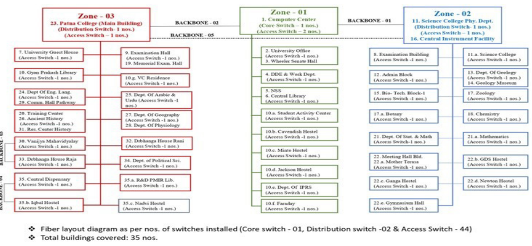

चित्र 9: फाइबर लेआउट आरेख

साइबर सुरक्षा परियोजना मिशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर

इस परियोजना का उद्देश्य भारत भर के विभिन्न दूरस्थ स्थानों पर आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ–साथ डेटा केंद्र (प्राथमिक डेटा केंद्र (डीसी)) और आपदा रिकवरी डेटा केंद्र (डीआर) स्थापित करने हेतु नेटवर्किंग, सुरक्षा और कंप्यूटिंग अवसंरचना की खरीद और तैनाती करना है। विश्वसनीय और उच्च उपलब्धता नेटवर्किंग सुनिश्चित करने के लिए, ईआरनेट इंडिया अपने प्राथमिक डेटा केंद्र (डीसी) और आपदा रिकवरी डेटा केंद्र (डीआर) और पूरे भारत में दूरस्थ स्थानों के लिए प्रबंधित एमपीएलएस बैंडविड्थ के माध्यम से एक मजबूत वाइड एरिया नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रहा है।

परियोजना की मुख्य उपलब्धियाँ/विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- दो डीसी/डीआर और कई ओईएम (नेटवर्क डिवाइस, सुरक्षा और अन्य उपकरण) के साथ विभिन्न दूरस्थ साइटों के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना और लागू करना।
- वर्तमान में, डीसी और डीआर से जुड़े लगभग 300 एमपीएल लिंक संचालित हैं।

चित्र 10: डेटा सेंटर

अन्य मंत्रालयों/विभागों की परियोजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम (एसवीसी) की स्थापना और विस्तार को सुगम बनाना :

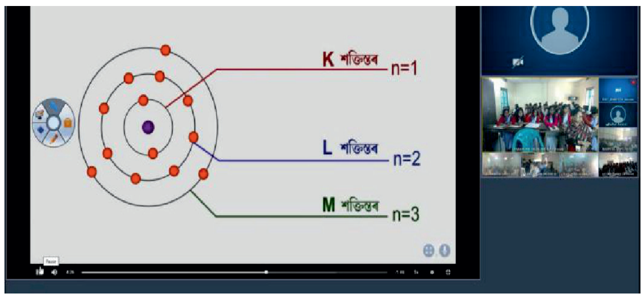

चित्र 11 और 12: असम में शिक्षक द्वारा संचालित सत्र

स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, ईआरनेट इंडिया ने स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना और विस्तार में अन्य राज्यों को सहयोग देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में, ईआरनेट इंडिया को पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) से "दूर–शिक्षा परियोजना – पूर्वोत्तर के आकांक्षी जिलों में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना" नामक एक परियोजना प्रदान की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य 75 स्कूलों और 4 डीआईईटी में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करके दूर–शिक्षा सुविधाएं स्थापित करना था। इस

परियोजना को, निर्धारित कार्यक्षेत्र का पालन करते हुए, सिक्किम और असम के सभी 75 स्कूलों और 4 डीआईईटी में, एनसीआर में केंद्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ, सफलतापूर्वक लागू किया गया है। 2021–22 के दौरान कार्यान्वयन पूरा हो गया है। स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है और इसके लागू होने के बाद से अब तक कुल 1145 सत्र और वर्ष 2024–25 में 245 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। वर्तमान में परियोजना का संचालन एवं रखरखाव कार्य प्रगति पर है और इसके अगस्त, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

चित्र 13: असम में शिक्षक द्वारा संचालित सत्र

चित्र 14: सिक्किम में शिक्षक द्वारा संचालित सत्र

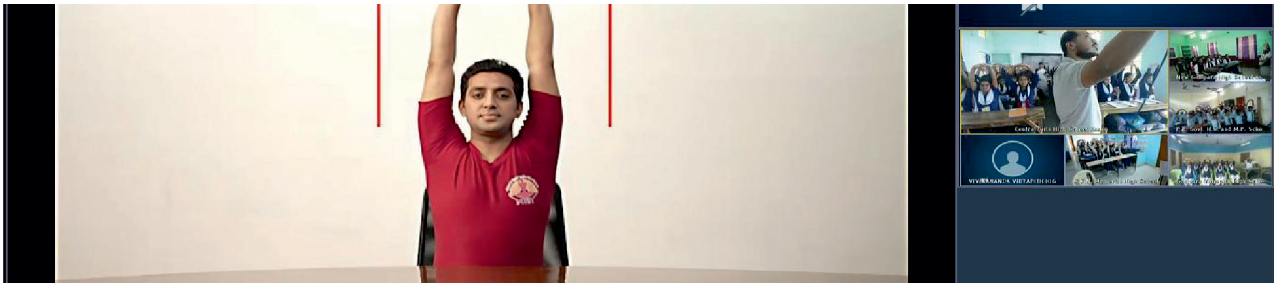

चित्र 15: स्थापित स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आयोजित योग दिवस सत्र

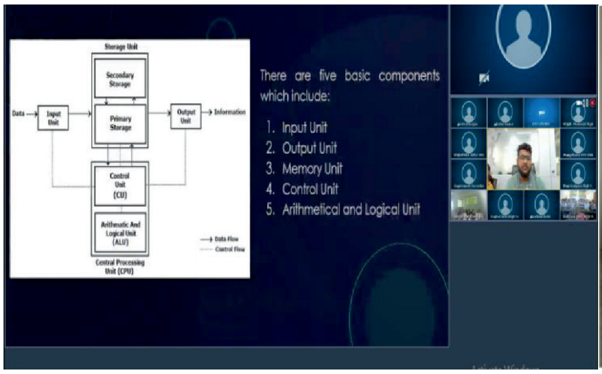

चित्र 16 और 17: स्मार्ट वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से जागरूकता सत्र

आकांक्षी स्वास्थ्य सेवा व्यवसायकों के लिए मेडिकल कॉलेजों में ई–कक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर

ईआरनेट इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दो ई–क्लासरूम इन्फ्रास्ट्रक्चर लागू किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ष्दूरस्थ स्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिगमष प्राप्त करना और ई–क्लासरूम अधिगम के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुँचाने हेतु डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साकार करना है।यह संचालन और रखरखाव सहायता जुलाई, 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

चित्र.18 एवं 19: पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित सत्र

अगली पीढ़ी की आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का परामर्श और कार्यान्वयन

पिछले वर्ष, ईआरनेट इंडिया ने परामर्श और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है और डिजिटल परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए संपूर्ण समाधान प्रदान किए हैं।

इसका व्यापक दृष्टिकोण परियोजना जीवनचक्र को परिभाषित करता है, जिसमें शामिल हैं:

- संकल्पना, डिज़ाइन, विनिर्देशन और खरीद योजना
- कुशल खरीद प्रक्रियाएं
- संपूर्ण आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्बाध कार्यान्वयन (उच्च–स्तरीय डिज़ाइन (एचएलडी) और निम्न–स्तरीय डिज़ाइन (एलएलडी) दोनों का पालन करते हुए))
- सुदृढ़ संचालन और रखरखाव

डेटा सेंटरों की स्थापना पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है, जहाँ उन्नत, बुद्धिमान डीसी/डीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैनात किया जाता है, जो बेहतर प्रदर्शन के लिए सक्रिय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ईआरनेट इंडिया लगातार अगली पीढ़ी की सर्वोत्तम तकनीकों की खोज और अनुप्रयोग करता है, उनके इंटरफेस और कार्यात्मकताओं का लाभ उठाकर विशेष रूप से सरकारी ग्राहकों के लिए तैयार किए गए अभिनव समाधान प्रदान करता है, जिससे यह तय होता है कि उन्हें अत्याधुनिक और विश्वसनीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ मिले।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

ईआरनेट इंडिया एशिया पैसिफिक एडवांस्ड नेटवर्क (एपान) एसोसिएशन के प्राथमिक सदस्यों में से एक है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन सहित विभिन्न देशों के सदस्य हैं। ईआरनेट इंडिया वर्ष 1998 से एपान गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। एपान उपयोगकर्ता समुदायों को नेटवर्क इंजीनियरों के साथ मिलकर टेली–हेल्थ, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, अनुसंधान सहयोग, ज्ञान की खोज आदि जैसे प्रासंगिक विषयों में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाने के अवसरों को बढ़ावा देने और उनका दोहन करने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एपान ने एपान सदस्य के रूप में अपनी आगामी मुद्रित पल्स पत्रिका में एपान–ईन (अर्थात ईआरनेट इंडिया) को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे हांगकांग में एपान60 और बांग्लादेश में एपान61 पर वितरित किया जाएगा।

ईआरनेट इंडिया 'बड़ी' श्रेणी के अंतर्गत एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर (एपनिक) का भी सदस्य है। एपनिक एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री (आरआईआर) है जो अपने सदस्यों को इंटरनेट नंबर संसाधन प्रदान करती है। यह दुनिया की पाँच आरआईआर (क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री) में से एक है और नंबर रिसोर्स ऑर्गनाइजेशन (एनआरओ) का हिस्सा है। एपनिक परामर्श और आम सहमति की एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से विकसित नीतियों के अनुसार इंटरनेट संसाधनों का प्रबंधन करता है।

अनुसंधान एवं विकास

एओसी टेस्टबेड प्रोजेक्ट – डब्ल्यूपी 15 नेटवर्क सुरक्षा

ईआरनेट इंडिया,एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन (एओसी) टेस्टबेड परियोजना में कार्य पैकेज 15–क्यूकेडी नेटवर्क सुरक्षा पर (https://www.aoctestbed.in/) आईआईटी मद्रास के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का सदस्य है। एओसी टेस्टबेड को दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए वित्त पोषित किया गया है।

इसका उद्देश्य अतिरिक्त क्यूकेडी नोड्स तैनात करके एमएक्यूएएन नेटवर्क का विस्तार करना है ताकि लिंक विफलताओं या सुरक्षा खतरों से जुड़े परिदृश्यों में प्रभावी निगरानी और प्रबंधन संभव हो सके। मुख्य ध्यान सेवा–अस्वीकृति (डीओएस) हमलों का पता लगाने और उन्हें कम करने पर है, जो गुप्त कुंजी विनिमय प्रक्रिया को बाधित करके लिंक विफलता का कारण बनते हैं। ऐसी विसंगतियों का पता लगाने और वैकल्पिक क्वांटम–सुरक्षित पथों के माध्यम से संचार को पुनर्निर्देशित करने के लिए क्वांटम बिट त्रुटि दर (क्यूबीईआर) और गुप्त कुंजी दर (एसकेआर) की निरंतर निगरानी आवश्यक है।

एमएक्यूएएन टेस्टबेड को ऐलिस, बॉब और ईव नोड सेटअप के साथ दो आक्रमण परिदृश्योंय ट्रोजन हॉर्स आक्रमण और फाइबर टैम्परिंग आक्रमण को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है। क्यूकेडी नेटवर्क टेस्टबेड को सुरक्षा आक्रमणों के अनुकरण का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है, जिसकी निगरानी तब की जा सकती है जब क्यूबीईआर 5ः से अधिक हो और एसकेआर 1 केबीपीएस से नीचे आ जाए। क्यूकेडी प्रणाली ने 1.4% के क्यूबीईआर के साथ लगभग 16.5 केबीपीएस का उच्चतम एसकेआर प्राप्त किया, जिससे नोड मापदंडों के इष्टतम विन्यास के माध्यम से स्थिर संचार बना रहा। इस सेटअप को कई परीक्षण परिनियोजनों के माध्यम से मान्य किया गया हैः चेन्नई स्थित ईआरनेट इंडिया में एक प्रयोगशाला स्थापना, चेन्नई में ईआरनेट और एसईटीएस के बीच एक क्षेत्र परीक्षण, और चेन्नई स्थित दक्षिण भारत मुख्यालय और गोल्डन पाम सैनिक संस्थान को जोड़ने वाला एक अन्य क्षेत्र परिनियोजन।

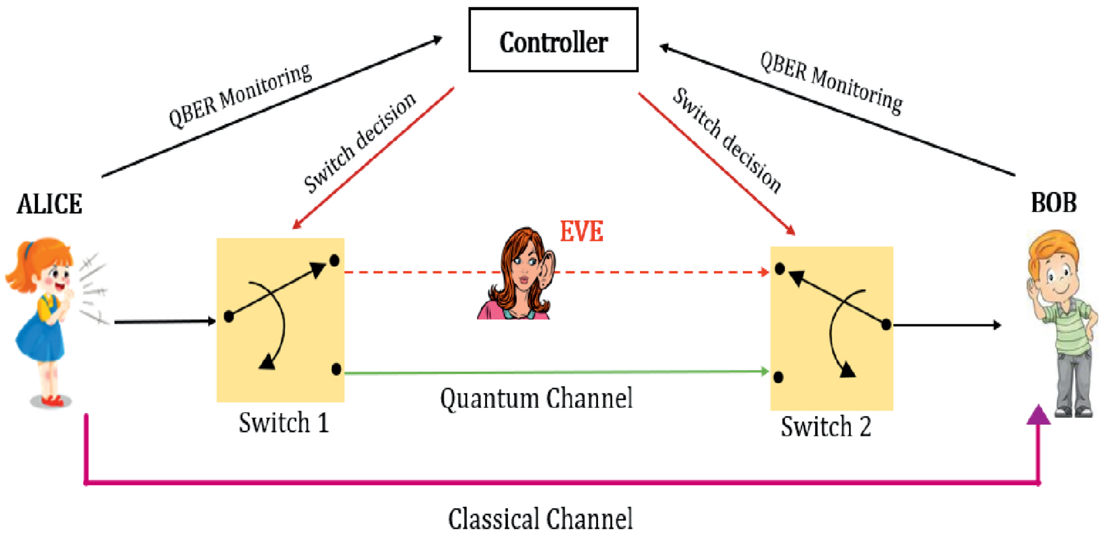

चित्र 20: क्यूकेडी लिंक के लिए सुरक्षित पथ प्रावधान प्रणाली

एसडीएन–सक्षम पथ नियंत्रण का विकास प्रगति पर है, जो इन अनुकरणित डीओएस हमलों के जवाब में क्यूकेडी नेटवर्क के लिए गतिशील रूप से वैकल्पिक क्वांटम सुरक्षित पथों का चयन करेगा। विशेष रूप से, क्वांटम चौनल में किसी गुप्तचर या किसी भी असामान्यता का पता चलने पर, सिस्टम कुंजी विनिमय को एक वैकल्पिक सुरक्षित ऑप्टिकल पथ के माध्यम से गतिशील रूप से पुनर्निर्देशित कर सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल वास्तविक समय के हमलों के विरुद्ध क्यूकेडी प्रणाली की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि महत्वपूर्ण संचार इन्फ्रास्ट्रक्चरों में इसकी अनुकूलनशीलता और विश्वसनीयता में भी सुधार करता है।

एक व्यापक आईओटी सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और सैंडबॉक्स

ईआरनेट इंडिया, सी–डैक (बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम), आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईआईटी बैंगलोर, एसईटीएस चेन्नई, अमृता विश्व विद्यापीठम जैसे अन्य साझेदारों के साथ मिलकर, जून 2024 से जून 2027 तक "एक व्यापक आईओटी सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और सैंडबॉक्स" पर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की कार्यक्षमता और सुरक्षा सत्यापन के लिए एक संपूर्ण सैंडबॉक्स विकसित करना है। ईआरनेट की प्रमुख भूमिका कार्यात्मक सैंडबॉक्स के विकास में है, जो नेटवर्क और एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल विश्लेषण/सत्यापन और आईओटी उपकरणों के लिए क्लाउड इंटरफेसिंग पर केंद्रित है।

इस परियोजना का उद्देश्य बीएलई, 6एलओडब्ल्यूपीएएन, जिगबी सहित विभिन्न आईओटी संचार प्रोटोकॉल और एमक्यूटीटी, कोअप जैसे एप्लिकेशन–लेयर प्रोटोकॉल की कार्यक्षमता का सत्यापन करने के लिए एक व्यापक आईओटी सैंडबॉक्स विकसित करना है। इस पहल में डिवाइस, नेटवर्क और एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल का विश्लेषण करने के लिए स्वदेशी सॉफ़्टवेयर का विकास शामिल है, जो आईईईई मानकों, आईईटीएफ आरएफसी विनिर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इस प्रयास का एक मुख्य पहलू प्रोटोकॉल के कार्यात्मक सत्यापन हेतु ढाँचे और उपकरणों का निर्माण है।

आईओटी–विशिष्ट एप्लिकेशन और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉलकृकोअप एमक्यूटीटी, 6एलओडब्ल्यूपीएएन, जिगबी और बीएलई का मूल्यांकन वर्तमान में प्रगति पर है। टाइटन फ्रेमवर्क के साथ एक्लिप्स आईडीई का उपयोग करके परीक्षण सूट विकास परिवेश सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

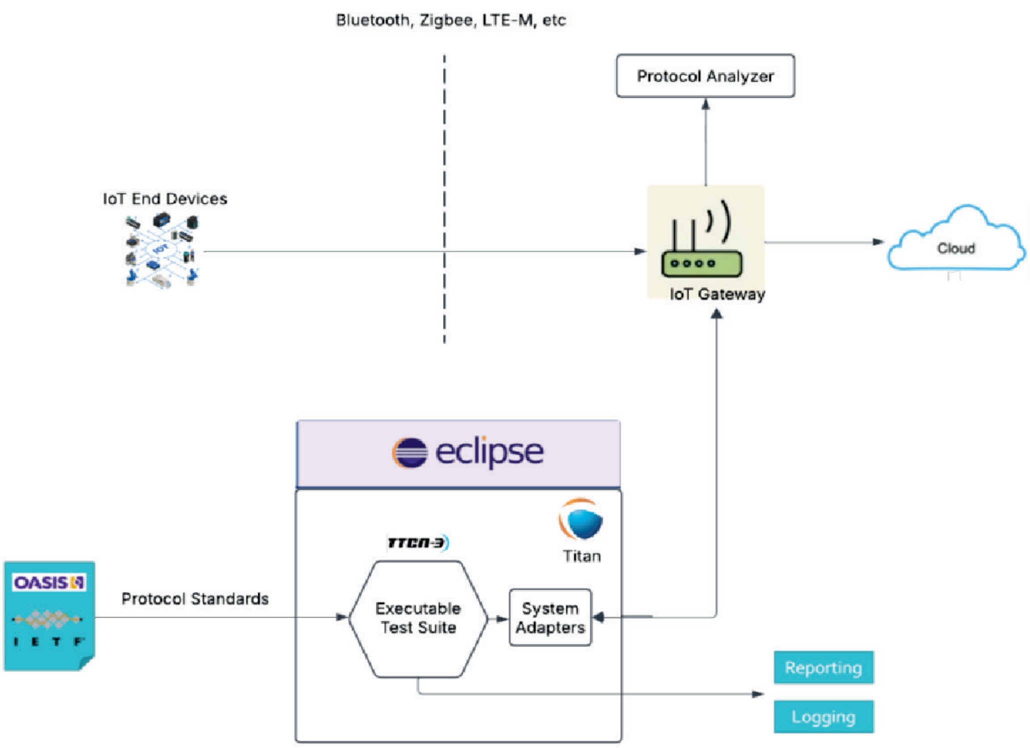

चित्र 21: कार्यात्मक सैंडबॉक्स – प्रोटोकॉल सत्यापन फ्रेमवर्क

विकास परिवेश और डीयूटी के बीच संचार को मान्य करने के लिए, एक तापमान संवेदक युक्त रास्पबेरी पाई को डीयूटी के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया था। कोअप सत्यापन कार्यों को हेडर संरचना और गेट, पुट, पोस्ट, और डिलीट जैसे मुख्य कार्यों पर केंद्रित करते हुए,

लिबकोप के साथ एक सिम्युलेटेड परिवेश का उपयोग करके विकसित किया गया था। एमक्यूटीटी 5.0/3.0 मानकों के अनुसार, एक्लिप्स टाइटन का उपयोग करते हुए, एमक्यूटीटी अनुरूपता सत्यापन वर्तमान में प्रगति पर है। एक्लिप्स मॉस्किटो को ब्रोकर के रूप में और एक्लिप्स पाहो को क्लाइंट के रूप में तैनात किया गया है, और दोनों ही सफलतापूर्वक संदेशों का आदान–प्रदान कर रहे हैं। यह सेटअप टाइटन के साथ आगामी एकीकरण के लिए डीयूटी का निर्माण करता है, जहाँ विस्तृत सत्यापन परिदृश्य लागू किए जाएँगे। अन्य आईओटी संचार मानकों के लिए भी इसी तरह की प्रोटोकॉल सत्यापन गतिविधियां जारी हैं।

साझा फाइबर टोपोलॉजी का उपयोग करते हुए क्वांटम कुंजी वितरण–आधारित अति–सुरक्षित और विश्वसनीय ऑप्टिकल नेटवर्क

ईआरनेट इंडिया, आईआईटी इंदौर और एनएसयूटी दिल्ली के साथ मिलकर अगस्त 2023 से दिसंबर 2025 तक "साझा फाइबर टोपोलॉजी का उपयोग करते हुए क्वांटम कुंजी वितरण–आधारित अल्ट्रा–सिक्योर और विश्वसनीय ऑप्टिकल नेटवर्क" पर एमईआईटीवाई द्वारा वित्त पोषित परियोजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य मौजूदा ऑप्टिकल नेटवर्क के साथ एकीकृत क्वांटम चौनल के भौतिक परत मॉडल का विश्लेषण करना, क्वांटम और शास्त्रीय डेटा चौनलों के सह–अस्तित्व का प्रदर्शन करना, क्यूकेडी के साथ एकीकृत ऑप्टिकल नेटवर्क में प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ उत्तरजीविता प्रदान करने के लिए नई आपदा जागरूक रणनीतियों की जांच करना और मेट्रो क्षेत्र नेटवर्क में विश्वसनीय रिपीटर नोड्स (टीआरएन) के इष्टतम प्लेसमेंट के लिए रणनीति बनाना है।

इस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य ऐलिस–बॉब सेटअप का उपयोग करके एक क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। अवलोकन के प्रमुख मापदंडों में क्वांटम बिट त्रुटि दर (क्यूबीईआर), गुप्त कुंजी दर (एसकेआर), और क्लिक दर शामिल हैं। परिणामों का विश्लेषण वास्तविक परिचालन स्थितियों में प्रणाली के समय–निर्भर व्यवहार को समझने के लिए किया गया।

साझा फाइबर पर क्वांटम–क्लासिकल सिग्नल सह–अस्तित्व की सिमुलेशन के माध्यम से जाँच की गई। आईबीएम क्विस्किट का उपयोग करते हुए, क्यूबीईआर और क्लिक दर पर क्वांटम चौनल पावर के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, बीबी84 प्रोटोकॉल को डीपोलराइजिंग नॉइज़ और फोटॉन हानि के अंतर्गत मॉडल किया गया। क्यूबीईआर और क्लिक दर के रुझानों का विश्लेषण बदलती क्लासिकल चौनल पावर के विरुद्ध किया गया। ऐलिस–बॉब क्यूकेडी हार्डवेयर का उपयोग करके एक भौतिक फाइबर बेंडिंग प्रयोग

ने यह जाँच की कि वाइंडिंग हानियाँ सिग्नल की अखंडता को कैसे प्रभावित करती हैं और सुरक्षित संचरण के लिए सहनीय बेंडिंग सीमाओं की पहचान की।

रमन प्रकीर्णन विक्षोभों का अध्ययन करने के लिए वीपीआईफोटोनिक्स में सुसंगत एक–तरफ़ा (सीओडब्ल्यू) क्यूकेडी का अनुकरण किया गया। क्वांटम और शास्त्रीय संकेत प्रसार का मॉडल तैयार किया गया, और तरंगदैर्घ्य बनाम घात ग्राफ ने –140 से –120 डीबीएम रेंज में रमन रव का पता लगाया। अंतर–कोर रमन प्रभावों का 40 डीबीएम पर अनुकरण किया गया, और परिणामी रव का उपयोग क्यूटीआईपी–आधारित विध्रुवण चौनल मॉडल के माध्यम से क्यूबीईआर का विश्लेषण करने के लिए किया गया। एक कस्टम पायथन स्क्रिप्ट ने रव शक्ति के साथ क्यूबीईआर में वृद्धि दिखाई, जिससे रमन–प्रेरित ह्रास की पुष्टि हुई। ये परिणाम भविष्य के सह–अस्तित्व अध्ययनों का समर्थन करते हैं, जिनमें परिवर्तनशील फोटॉन संख्या विश्लेषण, डिटेक्टर रव प्रभाव और कुंजी दर सिमुलेशन शामिल हैं। सह–अस्तित्व परिपथ का गणितीय सिमुलेशन प्रगति पर है।

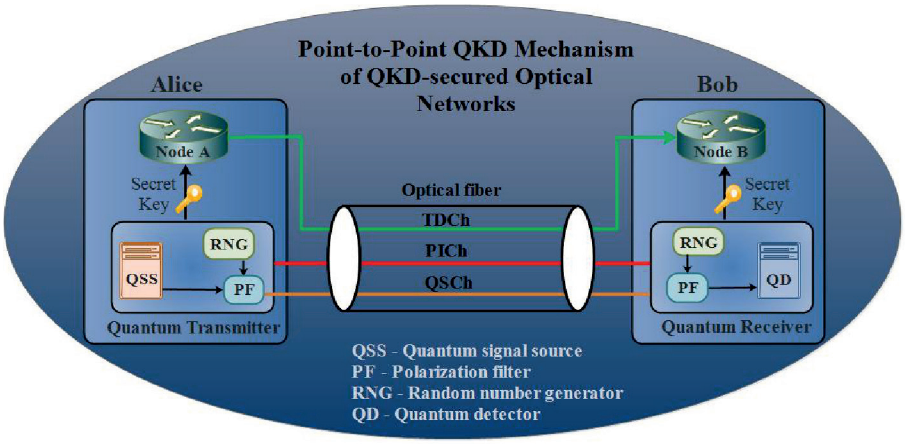

चित्र 22: क्यूकेडी–सुरक्षित ऑप्टिकल नेटवर्क का प्रस्तावित आर्किटेक्चर

एमएक्यूएएन के साथ नेटवर्क प्रबंधन, नवाचार और प्रयोग

मेट्रो एरिया क्वांटम एक्सेस नेटवर्क (एमएक्यूएएन), जो आईआईटी मद्रास, सी–डैक, सेट्स, ईआरनेट इंडिया और एनआईसी की एक संयुक्त पहल है, को कई शॉर्ट–हॉल क्वांटम संचार लिंक्स की सुविधा वाले एक परीक्षण केंद्र के रूप में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना का ध्यान स्वदेशी रूप से विकसित हार्डवेयर का उपयोग करके क्वांटम संचार इन्फ्रास्टक्चर की स्थापना पर केंद्रित था और इसने राष्ट्रीय मानकों के निर्माण में योगदान दिया।

ईआरनेट इंडिया ने एक एमएक्यूएन नोड की मेजबानी की और टेस्टबेड के प्रायोगिक सत्यापन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस परियोजना ने ईआरनेट इंडिया और आईआईटी मद्रास के बीच एक वैकल्पिक फ्री स्पेस ऑप्टिक्स (एफएसओ) क्लासिकल लिंक के साथ–साथ फाइबर–आधारित एमएक्यूएन लिंक स्थापित किए।

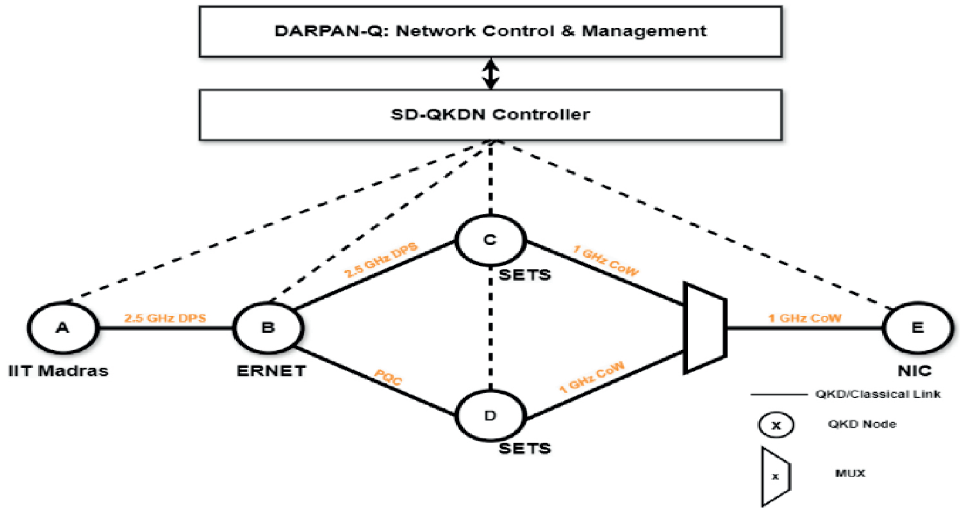

चित्र.23: एमएक्यूएन नेटवर्क टोपोलॉजी

ईआरनेट इंडिया ने क्यूकेडी प्रयोग के लिए आईआईटीएम, सेट्स, एनआईसी और बीईएल को जोड़ने वाले कई एमएक्यूएएन शॉर्ट–हॉल फाइबर लिंक की स्थापना और प्रबंधन में योगदान दिया है। इस मुख्य लिंक में सेट्स–एनआईसी (5.5 किमी, 3.5 डीबी हानि), ईआरनेट–सेट्स (1.1 किमी, <2 डीबी हानि), और ईआरनेट–आईआईटीएम (4.8 किमी, 7.5 डीबी हानि) शामिल हैं।

परियोजना के भाग के रूप में, ईआरनेट इंडिया, सी–डैक के साथ संयुक्त रूप से टीएसडीएसआई में मानकीकरण प्रयासों में योगदान दे रहा है, "एसडीएन का उपयोग करते हुए मल्टी–वेंडर क्यूकेडी हार्डवेयर की इंटरऑपरेबिलिटी" (एनआईपी366), जिसे सी–डॉट, आईआईटीएम और एसईटीएस द्वारा समर्थन प्राप्त है।

एससी/एसटी/महिला/ईडब्ल्यूएस स्नातक इंजीनियरों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कार्य आधारित शिक्षण (डब्ल्यूबीएल) कार्यक्रम

ईआरनेट, सी–डैक मोहाली के नेतृत्व में, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) संस्थानों के माध्यम से एससी/एसटी/महिला/ईडब्ल्यूएस स्नातक इंजीनियरों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए 'कार्य आधारित शिक्षण (डब्ल्यूबीएल) कार्यक्रम' के कार्यान्वयन संगठनों में से एक है। यह कार्यक्रम अप्रैल 2022 से मार्च 2027 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए है और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस पहल के अंतर्गत, चयनित श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों को 6 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान की जाती है। ईआरनेट इंडिया अपने तीन क्षेत्रीय केंद्रों (दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर) के माध्यम से 5 वर्ष की परियोजना अवधि (प्रति वर्ष 36 इंटर्न) में 180 डब्ल्यूबीएल लाभार्थियों को अवसर प्रदान करेगा। अब तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 118 डब्ल्यूबीएल इंटर्न लाभान्वित हुए हैं जो विभिन्न चल रही परियोजना पहलों पर काम कर रहे हैं।

संगठनात्मक मामले

संगठनात्मक संरचना

ईआरनेट इंडिया, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक वैज्ञानिक स्वायत्त संस्था होने के नाते, अपने सर्वोच्च प्रबंधन निकाय, अर्थात अधिशासी परिषद के समग्र नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करती है। माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद के सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो अंतरिक्ष विभाग, एआईसीटीई, यूजीसी, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आई–सर्ट आदि जैसे विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सोसायटी के मानव संसाधन

ईआरनेट इंडिया में वैज्ञानिक और गैर–वैज्ञानिक क्षेत्रों में 41 स्वीकृत पद हैं। 41 स्वीकृत पदों में से 31 भरे हुए हैं और 10 रिक्त हैं। विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, ईआरनेट इंडिया ने अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर विशिष्ट विशेषज्ञता वाले जनशक्ति को नियुक्त किया है। सुरक्षा एवं निगरानी, हाउसकीपिंग और अन्य सहायक सेवाओं के प्रबंधन के लिए, ईआरनेट इंडिया आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति की तैनाती करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को ईआरनेट इंडिया में लागू कर दिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अधिनियम के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण सहित अनिवार्य अद्यतन जानकारी ईआरनेट इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निर्धारित समय सीमा के भीतर कुल 33 आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया गया।

सतर्कता गतिविधियां

ईआरनेट इंडिया में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है। ईआरनेट इंडिया में 28.10.2024 से 03.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और हितधारकों को सतर्कता और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया गया।

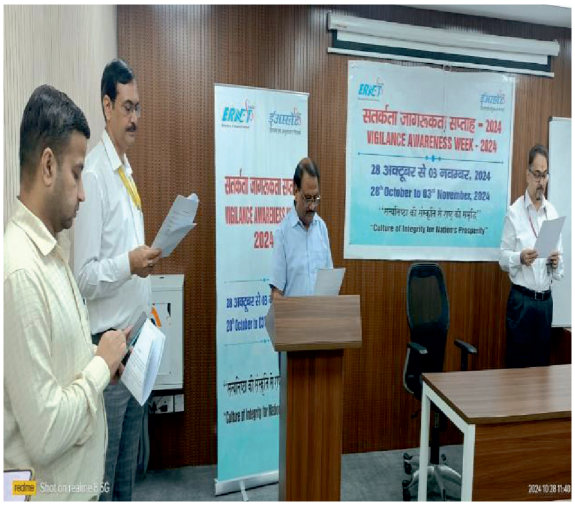

चित्र 24, 25 और 26: ईआरनेट इंडिया में सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2024 के दौरान सतर्कता शपथ

यौन उत्पीड़न के मामलों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान ईआरनेट इंडिया की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई है और प्रक्रिया के अनुसार उसका निपटान किया जा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन

ईआरनेट इंडिया में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन हेतु ईआरनेट इंडिया में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। महानिदेशक की अध्यक्षता में यह समिति कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

ईआरनेट इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 14.09.2024 से 29.09.2024 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी टिप्पण/प्रारूपण एवं कविता पाठ पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।.

चित्र 27 और 28: ईआरनेट इंडिया में हिंदी पखवाड़ा और हिंदी पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिता

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस– 2024

ईआरनेट इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21.06.2024 को भवन परिसर में अपने कर्मचारियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया।

चित्र 29: 21.06.2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ईआरनेट इंडिया में आयोजित योग सत्र

स्वच्छता पखवाड़ा

ईआरनेट इंडिया में स्वच्छता पखवाड़ा 1 फरवरी से 15 फरवरी, 2025 तक आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को स्वच्छता बनाए रखने के लाभों के बारे में जागरूक करना, कागज़ रहित और स्वस्थ वातावरण के लिए ई–ऑफिस को प्रोत्साहित करना और अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना था। ईआरनेट इंडिया ने 17.09.2024 से 02.10.2024 तक **'स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2024 अभियान – स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता' में भी भाग लिया। विशेष अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' के दौरान, ईआरनेट इंडिया ने भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।**

चित्र 30 और 31ः ईआरनेट इंडिया में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता प्रतिज्ञा

चित्र 32, 33 और 34ः वर्ष 2024 ईआरनेट इंडिया में ली गई प्रतिज्ञा

चित्र 35, 36, 37 एवं 38 विशेष अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम'

ईआरनेट इंडिया का पता और संपर्क विवरण

मुख्यालय, दिल्ली	**ईआरनेट इंडिया** पाँचवीं मंजिल, ब्लॉक 1, ए विंग डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क दिल्ली–110053 संपर्क : 011–22170578
क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई	**ईआरनेट इंडिया** डी4–05, ब्लॉक–डी, चौथी मंजिल आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क कनागम रोड, तारामणि चेन्नई – 600113 **क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी:** डॉ. ए. पवनथन वरिष्ठ निदेशक संपर्क: 044–66469828
क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु	**ईआरनेट इंडिया** चौथी मंजिल, वनविकास भवन 18वां क्रॉस, मल्लेश्वरम बेंगलुरु – 560003 **क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी:** डॉ. ए. पवनथन वरिष्ठ निदेशक संपर्क: 080–23617532
वीसैट हब, बेंगलुरु	**हब प्रभारी:** श्री अवनींद्र सिंह निदेशक संपर्क:011–22170591

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

अधिशासी परिषद,

ईआरनेट इंडिया,

नई दिल्ली

राय

हमने ई.आर.नेट इंडिया ("सोसाइटी") के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक का तुलन पत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखा एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त सार और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टी करते हुए सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का पुनः उल्लेख हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व के खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीतिगत आवश्यकताओं के अनुरूप हम एक स्वतंत्र संस्था हैं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सुसंगत हैं तथा इन आवश्यकताओं के अनुसार हमने अन्य उत्तरदायित्वों को भी निभाया है। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा के लिए जो साक्ष्य हमने एकत्र किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

विषय का महत्व

हम निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैः–

1. वर्ष के दौरान, अचल संपत्तियों और सूची का भौतिक सत्यापन और उनका मिलान कथित तौर पर किया गया था, हालांकि इस तरह के सत्यापन की रिपोर्ट का अनुसरण करने के बाद हमने पाया कि रिपोर्ट में बताई गई विसंगतियां और लेखा बही में उनके प्रभाव को नहीं दर्शाया गया है। अतः हम वित्तीय विवरणों में इन विसंगतियों के वित्तीय प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. लेनदारों और देनदारों के बकाया शेष के संबंध में, लेनदारों से प्राप्त कुल पुष्टि का प्रतिशत 5.88ः और देनदारों से प्राप्त 17.58% है। इसके अलावा, उपरोक्त पुष्टिकृत शेषों में से, पक्षकारों द्वारा पुष्टिकृत शेष और 13 पक्षों की बहीखातों में दर्शाए गए शेष के बीच अंतर है। अपुष्ट देनदारों और लेनदारों के वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।
3. कंपनी एमएसएमई विक्रेताओं के वर्गीकरण के अनुसार लेखा अभिलेखों का रखरखाव नहीं कर रही है। इस प्रकार, एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरण–पत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंधन का है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानदण्डों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार संस्था की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और उचित चित्रण करते हों। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण–पत्र बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक डिजाइन, क्रियान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का अनुरक्षण शामिल है, जो सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करते हों और महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हों, फिर चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य हमारे दृष्टिकोण सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के साथ साथ इस विषय पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप में वित्तीय विवरण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं, फिर चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण हो। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उपज सकते हैं और इन्हें महत्त्वपूर्ण माना जाता है यदि ये एकल अथवा संकलित रूप में, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।

एसए के अनुपालन में लेखापरीक्षा के भाग स्वरूप, हम लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह कायम रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं रू

- वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन, फिर चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन, इन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को तैयार करना और निष्पादित करना और उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करना, जो हमारे दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं। त्रुटि के कारण से होने वाले महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन की तुलना में धोखाधड़ी के कारण उपजे महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान न होने का जोखिम अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में साँठ–गाँठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण पर अधिरोहण शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि उन परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटन का मूल्यांकन।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन और इस बात का मूल्यांकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस रूप में दर्शाते हैं कि वे सही लगे।
- भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना पैदा करती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।
  (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और
  (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संपर्क करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संपर्क करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

हमने जिन मामलों पर शासन के प्रभारी व्यक्तियों से चर्चा की, उनमें से हम उन मामलों को चुनते हैं जो इस बार के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे – और यही मामले 'प्रमुख लेखापरीक्षा मामले' कहलाते हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कोई क़ानून या विनियम उस विषय के सार्वजनिक प्रकटीकरण से रोक न लगाए, या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करें कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम अपेक्षित रूप से जनहित में होने वाले लाभ से अधिक हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं किः–

क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से जरूरी थे;

ख) हमारे दृष्टिकोण में, जहां तक इन बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है, संस्था द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उचित बही खाता रखा गया है;

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते बंसल आर कुमार एवं एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07.07.2025
यूडीआईएनः 25086851BMILZR9562

(आर.के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 086851

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं के उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	उत्तर
1.	अचल परिसंपत्ति और इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन और इसका समाधान कथित तौर पर वर्ष के दौरान किया गया था, हालांकि, इस तरह के सत्यापन की रिपोर्ट का अनुसरण करने के बाद हमने पाया कि रिपोर्ट में बताई गई विसंगतियों और बही खाते में उनके प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसलिए, हम वित्तीय विवरणों में इन विसंगतियों के वित्तीय प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	यह अवगत कराया जाता है कि लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में बताई गई विसंगतियों को अभी ठीक किया जा रहा है और उन्हें जल्द ही सुधार लिया जाएगा। अचल परिसंपत्तियों के समाधान के संबंध में, ईआरनेट इंडिया ने ईआरनेट खाते के साथ–साथ अलग–अलग प्रोजेक्ट हेड्स के तहत खरीदे गए सभी अचल परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन सॉफ्टवेयर खरीदा है। अचल परिसंपत्तियों की साल–दर–साल अद्यतित सूची परिसंपत्ति प्रबंधन सॉफ्टवेयर में डाली जा रही है, और पूरा डेटासेट जल्द ही पूरी तरह से मिला लिया जाएगा। एक बार यह समाधान पूरा हो जाने के बाद, डेटा परिसंपत्ति प्रबंधन सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा, और अपडेटेड स्टेटस वित्त एवं लेखा समिति की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।
2	लेनदारों से मिले कुल कन्फर्मेशन की प्रतिशतता 5.88% है और देनदारों से 17. 58% है, जो लेनदारों और देनदारों के बकाया शेष के हिसाब से है। साथ ही, ऊपर बताए गए शेष राशि की पुष्टि में से 13 पार्टियों के मामले में पार्टी द्वारा पुष्टि किए गए शेष और बही खाते के हिसाब से शेष में अंतर है। अपुष्ट देनदारों और लेनदारों का वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।	यह बताया जाता है कि यह एक कानूनी ज़रूरत है। इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में सभी देनदारों और लेनदारों, जिनमें निष्क्रिय उपयोगकर्ता भी शामिल हैं, से शेष राशि की पुष्टि कि मांग की जा रहा है। हालाँकि, नीचे दिए गए कारणों से सभी उपयोगकर्ता से जवाब नहीं मिले हैं:

		• वित्त वर्ष 2024–25 के लिए जिन सभी सक्रिय उपयोगकर्ताओं की बिलिंग की गई थी, उनसे लगभग 100% भुगतान प्राप्त हुआ है। • जो निष्क्रिय उपयोगकर्ता हैं और जिनके शेष बकाया हैं और जिनका कनेक्शन बहुत पहले काट दिया गया है। उनसे आम तौर पर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता हैं। • 13 पार्टियों द्वारा पुष्टि किए गए शेष और हमारे बही खातों के अनुसार 13 पार्टियों के शेष में अंतर के कारण इस प्रकार हैं: ➢ ग्यारह पार्टियां ऐसी निष्क्रिय उपयोगकर्ता हैं जिन पर बकाया देय है और जिनका कनेक्शन बहुत पहले काट दिया गया था। इन उपयोगकर्ताओं से मिलने वाली रकम के लिए हमारे खातों की पुस्तिकाओं में 100% प्रावधान मौजूद है। ➢ एक पार्टी सक्रिय उपयोगकर्ता है और एक साल के लिए 32,568/– रुपये के अग्रिम भुगतान के मुकाबले मार्च'25 तक 4,168/– रुपये की पार्शियल बिलिंग की गई है। उपयोगकर्ताओं को इस बारे में बता दिया गया है। ➢ एक पार्टी लेनदार है जिसका भुगतान हो चुका है और अब शेष मिला लिया गया है।

		• इन सभी पार्टियों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इन पार्टियों (देनदारों) से मिलने वाली रकम के लिए ज़रूरी प्रावधान हमारे लेखा बही में पहले से मौजूद है।
3	कंपनी एमएसएमई वेंडर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रख रही है। इसलिए, एमएसएमई वेंडर्स को भुगतान करने के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।	इस मामले की जांच चल रही है और यदि आवश्यकता पड़ी तो अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025–26 में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

ई.आर.नेट इंडिया
31.03.2025 तक का तुलन पत्र

आंकड़े '000 में रुपये में

कॉर्पस / कैपिटल फंड और देयताएं	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कॉर्पस /पूंजीगत निधि	1	22,27,641	21,09,500
जारी परियोजनाओं (जीआईए) के अंतर्गत बकाया राशि	2	-	16,483
चालू देयताएं और प्रावधानः–			
अन्य चालू देयताएं	3	7,21,022	4,23,602
प्रावधान	4	3,36,087	2,58,817
कुल		**32,84,750**	**28,08,402**
परिसंपत्तियां			
परिसंपत्तियां, संयत्र तथा उपकरण	5	1,42,122	1,46,191
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदिः–			
इन्वेंट्रीज़	6	615	590
विविध देनदार	7	216	10,665
प्रायोजित परियोजनाओं के तहत प्राप्य राशि	8	2,64,441	2,14,174
अनुसूचित बैंकों में जमा राशि	8क	25,43,790	20,60,689
ऋण और अग्रिम	9	3,33,566	3,76,093
कुल		**32,84,750**	**28,08,402**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	18		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	19		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में

ईआरनेट इंडिया की ओर से

कृते बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या. 008186N

(आर.के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 086851

(विपिन अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार एवं निदेशक

(संजीव बांझल)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2025

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2025

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

आंकड़े '000 में रुपये में

आय	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
ग्राहकों से राजस्व	10	2,84,755	3,16,976
परियोजनाओं से राजस्व	11	-	18,616
परियोजनाओं (जीआईए) से राजस्व	2क	12,02,015	24,00,190
शुद्ध अर्जित ब्याज	12	1,52,301	1,21,492
अन्य राजस्व	13	39,780	6,217
इनवेंटरीज में वृद्धि/(कमी)	14	-	-
कुल (क)		**16,78,851**	**28,63,489**
व्यय			
प्रचालन व्यय	15	2,01,604	2,32,287
परियोजनाओं (जीआईए) के तहत व्यय	2क	12,02,015	24,00,190
स्थापना व्यय	16	90,703	92,708
प्रशासनिक व्यय	17	57,947	44,893
मूल्यह्रास	5क	3,533	3,147
कुल (ख)		**15,55,802**	**27,73,225**
व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय के रूप में शेष राशि (क–ख)		1,23,049	90,264
व्यय की तुलना में अधिक आय		**1,23,049**	**90,264**
कर के लिए प्रावधान		-	-
कर के पश्चात व्यय की तुलना में शुद्ध अतिरिक्त आय		**1,23,049**	**90,264**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	18		
लेखों पर टिप्पणियाँ	19		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में

ईआरनेट इंडिया की ओर से

कृते बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या. 008186N

(आर.के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 086851

(विपिन अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार एवं निदेशक

(संजीव बांझल)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2025

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2025

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता

आंकड़े '000 में रुपये में

प्राप्तियां			भुगतान		
विवरण	राशि (रु.)	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)	राशि (रु.)
बैंक में अथ शेष		**3,40,474**	**प्रत्यक्ष भुगतानः**		10,72,692
			क) प्रचालन व्यय	2,37,057	
प्रत्यक्ष प्राप्तियां:		**15,57,935**	ख) भुगतान किए गए शुल्क एवं कर	1,33,139	
क) प्रचालन आय	**4,23,119**		ग) परियोजनाओं के अंतर्गत व्यय	7,02,496	
ख) प्राप्त निधि (जीआईए)	**11,34,816**				
			अप्रत्यक्ष भुगतानः		1,86,383
निवेशः		**20,29,045**	क) प्रशासनिक व्यय	77,008	
क) एफडीआर के नकदीकरण से प्राप्त धनराशि	**18,91,297**		ख) स्थापना व्यय	1,09,375	
ख) प्राप्त ब्याज	**1,37,748**				
			निवेश		**20,10,000**
अप्रत्यक्ष प्राप्तियां:					
		1,67,864		-	-
क) देनदारों से प्राप्त राशि	61,507		**अचल परिसंपत्तियों की खरीद के लिए भुगतान**		2,829
ख) कबाड़ बिक्री	328				
ग) अन्य प्राप्तियां:			**अन्य भुगतानः**		**1,30,731**
–विविध प्राप्तियांरू	52		प्रदर्शन सुरक्षा की वापसी	811	
बयाना राशि की प्राप्ति	7,500		प्रतिधारण राशि की वापसी	1,29,895	
–आयकर वापसी (उस पर ब्याज सहित)	98,477		बयाना राशि की वापसी	25	
			बैंक के पास अंत शेष राशि		6,92,683
		40,95,318			**40,95,318**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 1 – कॉर्पस/पूंजीगत निधि	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
(क) पूंजीगत निधि			
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि		20,29,813	19,39,549
जोडें: व्यय की तुलना में अधिक आय		1,23,049	90,264
जोडें: आयकर के प्रावधान की वापिसी		-	-
पूंजीगत निधि की बकाया राशि	**(क)**	**21,52,862**	**20,29,813**
(ख) कॉर्पस निधि			
(i) पूंजी सहायता अनुदान (एमईआईटीवाई)			
वर्ष की आरंभ में जमा राशि		71,919	75,835
घटाएँ: मूल्यह्रास		3,102	3,767
घटाया : सहायता अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों की बिक्री		650	150
कुल	**(i)**	**68,167**	**71,919**
(ii) पूंजीगत अनुदान सहायता – अग्नि दुर्घटना		7,768	9,128
घटायें : मूल्यह्रास		1,156	1,361
कुल	**(ii)**	**6,612**	**7,768**
कॉर्पस निधि शेष	**(ख = i+ii)**	**74,779**	**79,687**
तुलन पत्र में अंतरित की गई कुल बकाया राशि (क+ख)		**22,27,641**	**21,09,500**

ईआरनेट इंडिया

31.03.2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 2 – परियोजनाओं (प्रगति पर) के लिए निर्धारित निधियां	जीआईए– एनईआर के आकांक्षी जिले में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना	जीआईए–एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में बुद्धि मत्तापूर्ण शिक्षा अवसंरचना (स्मार्ट) की स्थापना	जीआईए – चरण–II के अंतर्गत एनसीसीसी डीसी एवं डीआर, आईएसपी स्थलों और संगठन स्थलों पर आईटी अवसंरचना और एमपीएलएस क्लाउड की स्थापना	जीआईए – चरण–III के अंतर्गत एनसीसीसी डीसी एवं डीआर, आईएसपी स्थलों और संगठन स्थलों पर आईटी अवसंरचना और एमपीएलएस क्लाउड की स्थापना
	1	2	3	4
क) परियोजनाओं की अथशेष राशि	(3,571)	14,258	(1,23,348)	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि :				
(i) प्राप्त सहायता अनुदान	15,694	11,600	10,70,000	10,000
(ii) वापस भुगतान की गई राशि/अन्य समायोजन	(1)	-	-	-
(iii) जमा ब्याज	-	-		-
(iv) वसूली गई एलडी को परियोजना में क्रेडिट किया गया	38	-	309	-
कुल (क+ख)	**12,161**	**25,859**	**9,46,961**	**10,000**
ग) व्यय की गई राशि	12,202	75,604	10,82,941	17,066
31.03.2025 को शुद्ध बकाया राशि (क+ख+ग)	**(41)**	**(49,745)**	**(1,35,980)**	**(7,066)**

ईआरनेट इंडिया

31.03.2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 2 – परियोजनाओं (प्रगति पर) के लिए निर्धारित निधियां	जीआईए– कार्य आधारित शिक्षण कार्यक्रम	जीआईए–क्यूकेडी आधारित अति–सुरक्षित और विश्वसनीय ऑप्टिकल नेटवर्क	जीआईए– एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड	जीआईए– एक व्यापक आईओटी सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और सैंडबॉक्स	31.03.2025 तक (क+ख)	31.03.2024 तक
	5	6	7	8		
क) परियोजनाओं की अथशेष राशि	-	-	2,225	-	(1,10,436)	23,188
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि रू					-	
(i) प्राप्त सहायता अनुदान	4,476	1,146	7,867	11,147	11,31,931	22,93,923
(ii) वापस भुगतान की गई राशि/अन्य समायोजन	(2,202)	(141)	-	(4,400)	(6,744)	(1,695)
(iii) क्रेडिट किया गया ब्याज	-	-	118	-	118	31
(iv) वसूली गई एलडी को परियोजना में क्रेडिट किया गया	-	-	-	-	348	7,980
कुल (क+ख)	**2,274**	**1,005**	**10,210**	**6,747**	**10,15,217**	**23,23,427**
ग) व्यय की गई राशि	2,274	1,025	11,422	6,780	12,09,313	24,35,459
31.03.2025 को शुद्ध बकाया राशि (क+ख+ग)	**0**	**(20)**	**(1,211)**	**(33)**	**(1,94,096)**	**(1,12,032)**
				जोडें: अतिरिक्त राशि – चल रही परियोजनाओं के अंतर्गत व्यय (अनुसूची 8 में अंतरित)	**1,94,096**	**1,28,515**
				चालू परियोजनाओं (जीआईए) के अंतर्गत जमाशेष (तुलन पत्र में अंतरित)	**-**	**16,483**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 2 क– सम्पन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधियाँ			जीआईए–नैसकॉम–ईआरनेट आईओटी के लिए उत्कृष्टता केंद्र	जीआईए–पटना विश्वविद्यालय में वाईफाई सक्षम कैंपस नेटवर्क की स्थापना	जीआईए–नेटवर्क प्रबंधन नवाचार और प्रयोग–एमएक्यूएएन	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	क)	**योजनाओं की अथशेष राशि**	**(6,244)**	**(1,596)**	**-**	**(7,840)**	**(1,749)**
	ख)	**योजनाओं में वृद्धिः**					
	(i)	प्राप्त सहायता अनुदान	-	9,055	1,138	10,193	11,855
	(ii)	वसूली गई एलडी परियोजना में क्रेडिट की गई	-	-	-	-	-
	(iii)	परियोजना के अंतर्गत अन्य क्रेडिट	-	-	-	-	-
	(iv)	जमा ब्याज	-	-	-	-	-
	(v)	वापस भुगतान की गई राशि/समायोजन	-	(565)	-	(565)	(1,535)
	(vi)	बंद हो चुकी परियोजनाओं(जीआईए) के अंतर्गत बकाया राशि (अनुसूची 3 का संदर्भ करें)	(6,244)	-	-	(6,244)	(6,244)
2	ग)	**योजनाओं में कटौतीः**					
	(i)	संपन्न परियोजनाओं के तहत किया गया व्यय	-	6,894	1,138	8,033	14,814
	(ii)	चालू परियोजनाओं पर किया गया व्यय (अनुसूची 2 से आगे लाया गया है)	-			12,09,313	24,35,459
		कुल (ग)	**-**	**6,894**	**1,138**	**12,17,345**	**24,50,273**
3	घ)	**परियोजनाओं से राजस्व**	-	6,894	1,138	12,17,345	24,50,273
		घटायाः आय और व्यय खाते में अलग से दिखाए जा रहे ईआरनेट पेशेवर शुल्क और कनेक्टिविटी से संबंधित ईआरनेट इंडिया की आय के लिए परियोजना से ली जाने वाली राशि	-	-	-	(15,330)	(50,083)
		कुल (घ)				**12,02,015**	**24,00,190**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 3 – अन्य चालू देयताएं		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	माल और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	14,443	52,391
2	परियोजनाओं और अन्य प्रचालन गतिविधियों के लिए प्राप्त अग्रिम	1,31,515	17,433
3	ईएमडी और अन्य देनदारियाँ	7,710	1,011
4	देय टीडीएस	6,741	23,791
5	देय कर	20,899	17,039
6	देय व्यय	10,069	7,556
7	ईआरनेट इंडिया सीपीएफ ट्रस्ट	137	204
8	प्रतिधारण राशि	5,18,177	2,93,375
9	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)	829	301
10	वीसैट एक्विपमेंट देयता	0	0.18
11	बंद हो चुकी परियोजनाओं के अंतर्गत बकाया राशि	10,502	10,502
	कुल	**7,21,022**	**4,23,602**

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 4 – प्रावधान		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	संचित छुट्टी का नकदीकरण	46,045	41,131
2	ग्रेच्युटी	29,012	24,585
3	विविध देयताएं	12,060	10,862
4	व्यय के लिए प्रावधान	2,48,970	1,82,239
	कुल	**3,36,087**	**2,58,817**

अनुसूची 5 – परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूंजीगत निधि से अधिगृहीत परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	5क	67,343	66,504
सहायता अनुदान से अधिगृहीत परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	5ख	68,167	71,919
आग में नष्ट इनफ्रास्ट्रक्चर को पुनः बनाने हेतु अधिगृहीत परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	5ग	6,612	7,768
कुल (5क+5ख+5ग)		**1,42,122**	**1,46,191**

ईआरनेट इंडिया
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण (पूंजीगत निधि)
(आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार)
वित्त वर्ष 2024–25

अनुसूची 5 क

आंकड़े '000 में रुपये में

क्र. सं.	विवरण	दर	01.04.2024 को प्रारम्भिक अवलिखित मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन		विलोपन	कुल	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03. 2025 को अंतिम अवलिखित मूल्य
				03.10.2024 के पहले	03.10.2024 के बाद				
	मूर्त परिसंपत्तियां								
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	40%	1,001	-	3,021	2	4,020	1,004	3,016
II	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	15%	2,714	-	21	-	2,735	409	2,326
III	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	12,054	-	83	-	12,137	1,210	10,927
IV	कार्यालय उपकरण	15%	4,064	156	887	-	5,107	700	4,408
V	भवन	10%	971	-	-	-	971	97	874
VI	बंगलौर में पट्टे पर भूमि	-	45,485	-	-	-	45,485	-	45,485
VII	सॉफ्टवेयर (सब)	40%	131	-	207	-	338	94	244
VIII	अमूर्त परिसंपत्तियां	25%	83	-	-	-	83	21	62
	कुल योग		**66,504**	**156**	**4,219**	**2**	**70,877**	**3,533**	**67,343**

ईआरनेट इंडिया
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण (सहायता अनुदान)
(आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार)
वित्त वर्ष 2024–25

अनुसूची 5 ख

आंकड़े '000 में रुपये में

क्र. सं.	विवरण	दर	01.04.2024 को प्रारम्भिक अवलिखित मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन		विलोपन	कुल	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2023 को अंतिम अवलिखित मूल्य
				03.10.2024 के पहले	03.10.2024 के बाद				
I	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (जीआईए)	40%	4	-	-	1	3	1	2
II	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जीआईए)	15%	18,308	-	-	582	17,726	2,659	15,067
III	कार्यालय उपकरण (जीआईए)	15%	1,771	-	-	7	1,764	265	1,499
IV	कार्यालय फर्नीचर एवं फिक्सचर (जीआईए)	10%	1,829	-	-	60	1,769	177	1,592
V	विविध परिसंपत्तियां (जीआईए)	10%	2	-	-	-	2	0	1
VI	भवन खाता (जीआईए)	10%	6	-	-	-	6	1	6
VII	बंगलौर में पट्टे पर भूमि		50,000	-	-	-	50,000	-	50,000
	कुल योग		**71,919**	**-**	**-**	**650**	**71,270**	**3,102**	**68,167**

अग्नि में नष्ट अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए प्राप्त परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण
(आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार)
वित्त वर्ष 2024–25

अनुसूची 5 ग

आंकड़े '000 में रुपये में

क्र. सं.	विवरण	दर	01.04.2024 को प्रारम्भिक अवलिखित मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन		विलोपन	कुल	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2025 को अंतिम अवलिखित मूल्य
				03.10.2024 के पहले	03.10.2024 के बाद				
I	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	15%	7,508	-	-	-	7,508	1,128	6,380
II	कार्यालय उपकरण	15%	37	-	-	-	37	6	32
III	कार्यालय फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	222	-	-	-	222	22	200
	कुल योग		**7,768**	**-**	**-**	**-**	**7,768**	**1,156**	**6,612**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 6– इन्वेंटरीज		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	भंडार और कलपुर्जे	84	59
2	वीसैट उपकरणों का स्टॉक	531	531
	कुल	**615**	**590**

अनुसूची 7 – विविध देनदार (असुरक्षित)		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	विविध देनदार (प्रयोक्ताओं से प्राप्य)	82,811	94,588
2	घटायें– संदिग्ध ऋण लिए प्रावधान	(82,595)	(83,923)
	कुल योग (अच्छा माना जाता है)	**216**	**10,665**

अनुसूची 8 – प्रायोजित परियोजनाओं के तहत प्राप्तियां		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	परियोजनाओं के तहत प्राप्य राशि (गैर जीआईए)	70,345	85,659
2	गतिशील परियोजनाओं के तहत खर्च की गई अतिरिक्त राशि (अनुसूची 2)	1,94,096	1,28,515
	कुल	**2,64,441**	**2,14,174**

अनुसूची 8 क अनुसूचित बैंकों के पास जमा राशि		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	परियोजनाओं के तहत प्राप्य राशि (गैर जीआईए)	18,51,109	17,20,215
2	गतिशील परियोजनाओं के तहत खर्च की गई अतिरिक्त राशि (अनुसूची 2)	6,92,681	3,40,474
	कुल	**25,43,790**	**20,60,689**

अनुसूची 8 क –अनुसूचित बैंकों के पास जमा राशि		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	एफडीआर – बैंक ऑफ इंडिया	16,167	15
2	एफडीआर – भारतीय स्टेट बैंक, कश्मीरी गेट (वित्त वर्ष 2024–25 और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए क्रमशः ₹59,131.15 और ₹55,315.55 के बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी रखी गई एफडी सहित)	59,663	57,127
3	एफडीआर – बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोहाट एन्क्लेव, नई दिल्ली	-	11,02,323
4	एफडीआर – केनरा बैंक	**17,75,279**	**5,60,749**
	कुल	18,51,109	17,20,215

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

आंकड़े '000 में रुपये में

बचत खातों में अनुसूचित बैंकों के बैंक शेष		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	बैंक ऑफ इंडिया	3,98,467	562
2	भारतीय स्टेट बैंक	2,88,005	3,28,333
3	केनरा बैंक	6,209	11,578
	कुल	**6,92,681**	**3,40,474**

अनुसूची 9 – ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		31.03.2025 को	31.03.2024 को
	नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:		
1	सुरक्षा जमा	24,809	21,287
2	प्रीपेड खर्चे	16,616	734
3	विविध अग्रिम	41	103
4	विभिन्न मांगों के लिए जमा आयकर और समायोजित रिफंड	1,93,839	2,11,261
5	आईटी रिफंड पर प्राप्य ब्याज	2,005	2,005
6	टीडीएस प्राप्य	43,874	1,10,251
7	अग्रिम/वसूली योग्य	3,106	3,926
8	जीएसटी क्रेडिट	30,117	2,253
9	उपार्जित आय	9,256	24,208
10	आस्थगित जीएसटी	766	65
11	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपील प्रस्तुत करने हेतु जमा किया गया जीएसटी	9,137	-
	कुल	**3,33,566**	**3,76,093**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 10 – ग्राहकों से राजस्व		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**सेवाएं**		
	क) वीसैट/एससीपीसी	2,46,463	2,49,904
	ख) अन्य सेवाएं	5,917	4,013
	कुल (1)	**2,52,380**	**2,53,917**
2	**डोमेन पंजीकरण**	19,211	12,975
3	**परियोजनाओं पर व्यावसायिक शुल्क**	13,164	50,083
	कुल (1+2+3)	**2,84,755**	**3,16,976**

अनुसूची 10 का अनुलग्नक		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**वीसैट/एससीपीसी**		
	क) सदस्यता शुल्क – एससीपीसी	2,46,463	2,40,561
	ख) सदस्यता शुल्क – वीसैट	-	9,343
	कुल	**2,46,463**	**2,49,904**
2	**अन्य सेवाएं**		
	क) ईमेल और वेब होस्टिंग	3,751	4,013
	ख) पूर्वोत्तर के आकांक्षी जिलों में एसवीसी की स्थापना – विविध आय	2,166	-
	कुल	**5,917**	**4,013**
3	**परियोजनाओं पर व्यावसायिक शुल्क**		
	क) एनसीसीसी पीएच–3	11,190	-
	ख) एओसी टेस्टबेड	592	293
	ग) मकान	73	128
	घ) क्यूकेडी	68	68
	ङ) एसवीसी एस्पिरेशनल	706	706
	च) आईओटी सैंडबॉक्स	535	-
	छ) एनसीसीसी पीएच–2	-	48,889
	कुल	**13,164**	**50,083**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 11 – परियोजनाओं से राजस्व – वीसैट के अलावा		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	एमओएचएफडब्ल्यू (एनएमसीएन परियोजना) – ओपेक्स, स्थापना, कैपेक्स	-	18,616
	कुल	**-**	**18,616**

अनुसूची 12 – अर्जित शुद्ध ब्याज		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**सावधि जमा पर:**		
	क) भारतीय स्टेट बैंक	3,907	23,539
	ख) केनरा बैंक	39,898	14,006
	ग) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86,329	82,197
	घ) बैंक ऑफ इंडिया	**16,165**	**-**
	कुल(1)	**1,46,299**	**1,19,742**
2	**बचत खातों पर**		
	क) बचत बैंक खाता	2,387	1,534
	घटायाः परियोजना में अंतरित ब्याज	-	31
	बचत बैंक खाते की शुद्ध ब्याज राशि	**2,387**	**1,503**
	ख) बैंक ऑफ इंडिया बचत प्लस खाता	3,615	248
	कुल (2)	**6,002**	**1,750**
	कुल (1+2)	**1,52,301**	**1,21,492**

अनुसूची 13 – अन्य राजस्व		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	विविध प्राप्तियां	31,221	2,547
2	पूर्व अवधि आय	6,378	-
3	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (वसूली के कारण प्रावधान उलट दिया गया)	2,156	1,171
4	उपकरणों की बिक्री	-	317
5	जीएसटी क्रेडिट–दावा (वार्षिक अनुपात)	-	2,182
6	ईआरनेट इंडिया सीपीएफ ट्रस्ट आय	25	-
	कुल	**39,780**	**6,217**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 14 – वस्तु–सूची में परिवर्तन		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	अंतिम इन्वेंट्री	531	531
2	घटायाः आरंभिक इन्वेंट्री	531	531
	कुल	-	-

अनुसूची 15 – प्रचालन व्यय		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	ईआरनेट परियोजना व्यय	1,92,417	1,91,285
2	पंजीकरण शुल्क – डोमेन	7,279	6,167
3	क्लाउड सेवाएं शुल्क (वेब/ईमेल होस्टिंग)	1,546	430
4	डोमेन पोर्टल के लिए क्लाउड सेवाएँ	309	109
5	स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम का संचालन एवं रखरखाव	49	-
6	पूर्व अवधि व्यय – प्रचालन	4	-
7	अंतर्राष्ट्रीय गेटवे एक्सेस/बैकबोन शुल्क	-	538
8	ट्रांसपोंडर लीज़ शुल्क	-	12,667
9	डब्ल्यूपीसी लाइसेंस शुल्क	-	2,578
10	हब प्रबंधन एवं मरम्मत एवं रखरखाव शुल्क	-	770
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएमसीएन परियोजना)	-	17,720
12	वीसैट उपकरण लागत	-	4
13	सॉफ़्टवेयर सुरक्षा उपकरण	-	20
	कुल	**2,01,604**	**2,32,287**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची–15 का अनुलग्नक		31.03.2025 को	31.03.2024 को
	हब प्रबंधन और मरम्मत एवं रखरखाव शुल्क		
1	मरम्मत एवं रखरखाव शुल्क	-	512
2	इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा – एसटीपीआई बैंगलोर में रैक	-	258
	कुल	**-**	**770**
क्र.सं.	**परियोजना व्यय**		
	मंत्रालयों / केंद्र शासित प्रदेशों / एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाएँ (अनुसूची 2 और 2क में शामिल परियोजनाओं के अलावा)		
1	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएमसीएन परियोजना व्यय)	**56**	**270**
2	जीआईजीडब्ल्यू परियोजना – वेबसाइट विकास	-	146
3	कवारत्ती में वीसैट एससीपीसी	**93,069**	**93,396**
4	पोर्ट ब्लेयर में वीसैट एससीपीसी	4,027	3,732
5	केंद्र शासित प्रदेश लक्षदीप में वीसैट कनेक्टिविटी	94,925	93,741
6	परियोजना व्यय–डब्ल्यूएएससीए	340	-
	कुल	**1,92,417**	**1,91,285**

ईआरनेट इंडिया
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

आंकड़े '000 में रुपये में

अनुसूची 16 – स्थापना व्यय		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	वेतन और भत्ते	75,244	78,953
2	कर्मचारी कल्याण शुल्क	3,140	2,539
3	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय	9,619	9,172
4	कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2,700	2,043
	कुल	**90,703**	**92,708**

अनुसूची 17 – प्रशासनिक व्यय		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	कार्यालय स्थान शुल्क	34,976	32,140
2	विज्ञापन और प्रचार शुल्क	17	213
3	लेखा परीक्षा व्यय	25	15
4	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	375	375
5	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	828	106
6	बैंक शुल्क	12	12
7	पुस्तकें और पत्रिकाएँ	145	119
8	बैठक व्यय	59	55
9	सदस्यता एवं अंशदान शुल्क	1,656	1,810
10	डाक एवं कूरियर शुल्क	54	42
11	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	383	380
12	व्यावसायिक शुल्क	3,862	1,393
13	मरम्मत एवं रखरखाव	560	633
14	पंजीकरण शुल्क	58	59
15	टेलीफोन शुल्क	561	522
16	प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएँ, प्रदर्शनी एवं सम्मेलन व्यय	25	74
17	यात्रा, परिवहन एवं टैक्सी किराये के शुल्क	3,134	2,771
18	पूर्व अवधि व्यय	553	210
19	बीमा व्यय	298	321
20	ब्याज व्यय	2,026	456
21	विविध व्यय	8,340	3,069
22	ईआरनेट इंडिया सीपीएफ ट्रस्ट व्यय	-	69
23	मोबाइल हैंडसेट प्रतिपूर्ति	-	50
	कुल	**57,947**	**44,893**

ईआरनेट इंडिया
अनुसूची 18
वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर, उपार्जन पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किए जाते हैं। लेखांकन नीतियों को सोसायटी द्वारा निरंतर लागू किया गया है और ये पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2) अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिचालन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। हालाँकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के बारे में प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3) परिसम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

(i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है, जिसमें माल ढुलाई, शुल्क और कर (दावा योग्य करों को घटाकर) और इसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्थिति और ऐसी परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए सभी व्यय शामिल हैं।

(ii) परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण की रिपोर्ट लागत में से संचित मूल्यह्रास (यदि कोई हो) घटाकर की जाती है।

(iii) पात्र अधिकारी(यों) को दिए गए मोबाइल हैंडसेट की प्रतिपूर्ति को प्रतिपूर्ति वर्ष में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

4) मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित मूल्यह्रास की दरों को मूल्यह्रास चार्ज करने की दरों के रूप में माना जाता है।

(ii) वर्ष के दौरान परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वृद्धि के संबंध में, यदि परिसंपत्ति का उपयोग 180 दिनों या उससे अधिक समय तक किया जाता है, तो मूल्यह्रास की गणना धारा 4(v) में

सूचीबद्ध निर्धारित दरों के 100% की दर से की जाती है, और यदि परिसंपत्ति का उपयोग 180 दिनों से कम समय तक किया जाता है, तो मूल्यह्रास की गणना निर्धारित दरों के 50ः की दर से की जाती है। वर्ष के दौरान बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास इसी प्रकार लगाया गया है।

(iii) 5.00 हजार रुपये से कम मूल्य वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों को क्रय वर्ष में आय–व्यय खाते में दर्ज किया जाता है। कर्मचारियों को मोबाइल हैंडसेट के लिए दी गई प्रतिपूर्ति को, उसकी लागत पर ध्यान दिए बिना, प्रतिपूर्ति वर्ष में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

(iv) अनुदान सहायता (जीआईए) के माध्यम से अर्जित परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को संबंधित पूंजी निधि खाते में प्रभारित किया जाता है।

(v) मूल्यह्रास की दरें (आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार) नीचे सारणीबद्ध हैंः–

क्र. सं.	परिसंपत्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
क.	भवन	10%
ख.	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	40%
ग.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	15%
घ.	केबल और कनेक्टर्स	15%
ङ.	परीक्षण उपकरण	15%
च.	कार्यालय उपकरण	15%
छ.	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	10%
ज.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ, जिनमें सॉफ़्टवेयर शामिल हैं	25%

5) परियोजनाओं हेतु सरकारी अनुदान

प्राप्त अनुदान सहायता (जीआईए) में से परियोजनाओं (जीआईए) के अंतर्गत व्यय का लेखा–जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है, लेकिन उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करते समय, कुल व्यय में से भुगतान न किए जाने वाले प्रावधानों की राशि घटाकर, व्यय को नकद आधार पर दर्शाया जाता है। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रति यह व्यवहार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुरूप है। उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नकद आधार के इस प्रकार के उपयोग का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ऐसी परियोजनाओं पर किए गए व्यय को वित्तीय विवरणों में "परियोजनाओं के अंतर्गत व्यय (जीआईए)" शीर्षक दिया गया है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय को आय और व्यय विवरण में

प्रति–मद के रूप में दर्शाया गया है। चालू परियोजनाओं से संबंधित जीआईए की अव्ययित राशि को चालू देनदारियों के अंतर्गत ष्चालू परियोजनाओं के अंतर्गत शेष (जीआईए)" के रूप में दर्शाया गया है और अतिरिक्त व्यय की गई राशि को बैलेंस शीट में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत ष्प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्य" के रूप में दर्शाया गया है।

6) राजस्व की पहचान

क्र. सं.	आय शीर्ष	स्वीकृति / बिल बनाना
(i)	वीसैट / एससीपीसी वीसैट	आय की पहचान तब की जाती है जब सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और चालान जारी किए जाते हैं। टैरिफ दरों के अनुसार, चालान अर्धवार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं।
(ii)	रेडियो लिंक	
(iii)	वेब / ईमेल होस्टिंग	
(iv)	डोमेन पंजीकरण	डोमेन सेवाओं से संबंधित प्राप्तियों को उपयोगकर्ता के विवरण की पुष्टि प्राप्त होने के बाद **"डोमेन से आय"** के रूप में दर्ज किया जाता है। उपयोगकर्ता विवरण की पुष्टि होने तक, ये प्राप्तियाँ सस्पेंस खाते में जमा कर दी जाती हैं। महीने के अंत में सस्पेंस खाते में शेष राशि को विविध प्राप्तियों (लागू करों सहित) के रूप में माना जाता है।
		आय को प्राप्ति के वर्ष में पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है, चाहे डोमेन कितने भी वर्षों के लिए पंजीकृत हो।
(v)	ईआरनेट परामर्श / व्यावसायिक शुल्क	ईआरनेट व्यावसायिक शुल्क परियोजना के नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजनाओं में जोड़े जाते हैं।

राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब उसके अंतिम संग्रहण के लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

7) कर्मचारी लाभ

(i) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (एएस) 15 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यांकन के लिए बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(ii) कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी लाभों का प्रावधान इस धारणा पर अर्जित और गणना किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

8) भंडार

(i) उपभोग्य सामग्रियों का मूल्य, लागत पर दर्शाया जाता है।

(ii) व्यापारिक स्टॉक का मूल्य लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर निर्धारित किया जाता है।

(iii) वीसैट उपकरणों का मूल्य लागत पर दर्शाया जाता है।

9) प्रावधान

(i) ईआरनेट इंडिया के खाते (परियोजना खाते के अलावा) पर व्यय के लिए प्रावधान तब माना जाता है जब संगठन पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होय यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और इन्हें तुलन पत्र तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ii) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान उन वर्तमान उपयोगकर्ताओं के संबंध में किया गया है, जिन्होंने तीन वर्षों से अधिक समय से अपना बकाया नहीं चुकाया है, तथा उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो सेवाएं नहीं ले रहे हैं, यदि बकाया राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है।

10) परियोजनाओं के अंतर्गत अर्जित और वापस किया गया ब्याज

अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि पर ब्याज का भुगतान निम्नलिखित नीति के आधार पर किया जाता है:

(i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयधविभाग से प्राप्त परियोजना निधि के मामले में, जिसमें अव्ययित निधि पर अर्जित ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया हो, इस प्रकार अर्जित ब्याज आय को अमान्य कर दिया जाता है तथा उसे बचत बैंक खाते की ब्याज दर पर परियोजना निधि खाते में जमा कर दिया जाता है, जब तक कि अंतर्निहित जीआईए दस्तावेज में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

(ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सरकारी एजेंसियों या किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त अग्रिम राशि के मामले में, और उन परियोजनाओं के मामले में भी जो क्रय/कार्य आदेश पर आधारित हैं और जिनके लिए कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है; ब्याज का भुगतान तब तक नहीं किया जाता जब तक कि अंतर्निहित अनुबंध दस्तावेज़ में ब्याज के भुगतान का विशेष प्रावधान न हो। यदि ब्याज देय है, तो वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज दर पर भुगतान किया जाता हैय जब तक कि अनुबंध दस्तावेज़ में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न हो।

(iii) उपर्युक्त अनुसार ब्याज के भुगतान के बाद ब्याज की राशि को वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 में "शुद्ध अर्जित ब्याज" के रूप में आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है।

11) आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के प्रावधान के अनुपालन के उद्देश्य से 15% से अधिक संचित आय का सदुपयोग।

लेखांकन की फीफो पद्धति का उपयोग करते हुएय आय के 15% से अधिक संचित आय का उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

12) माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

ईआरनेट इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी कानून के तहत निर्धारित दरों पर जीएसटी लगाया जाता है। इसी प्रकार, जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट भी जीएसटी कानून के तहत निर्धारित तरीके से प्राप्त किया जाता है:–

(i) छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए विशेष रूप से किए गए व्यय पर कोई क्रेडिट नहीं लिया जा रहा है (अधिसूचना संख्या 32/2017 – केंद्रीय कर (दर) और 35/2017 – केंद्रीय कर (दर) के अनुसार 13.10.2017 से प्रभावी)।

(ii) अन्य सेवाओं के लिए जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट का लाभ उठाया जा रहा है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में — **ईआरनेट इंडिया की ओर से**

कृते बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या. 008186N

(आर.के. गुप्ता) **भागीदार** **सदस्यता सं. 086851**	**(विपिन अग्रवाल)** **निदेशक (वित्त)**	**(अरुण कुमार सिंह)** **रजिस्ट्रार एवं निदेशक**	**(संजीव बांझल)** **महानिदेशक**

स्थान : नई दिल्ली **दिनांक :**	**स्थान : नई दिल्ली** **दिनांक : 07.07.2025**

ईआरनेट इंडिया
अनुसूची 19
वित्त वर्ष 2024–25 के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों पर टिप्पणी

आंकड़े '000 में रुपये में

1) आकस्मिक देयताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

सोसायटी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*

ईआरनेट इंडिया के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज

(i) ईआरनेट इंडिया के एक कर्मचारी द्वारा दायर सेवा संबंधी मामले से संबंधित तीन मामले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं। आज की स्थिति में इनमें कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

(ii) मेसर्स ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता) द्वारा दायर 32110.96 हजार रुपये (एलडी की कटौती के लिए 14,580.06 हजार रुपये; अर्थिंग कार्य के लिए 3,717.90 हजार रुपये; एलडी कटौती और अर्थिंग भुगतान पर ब्याज के लिए 13,813 हजार रुपये) का दावा, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, यह दावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजना "आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 204 स्कूलों में ई–लर्निंग आईसीटी केंद्रों की स्थापना के लिए आईटी अवसंरचना (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) की खरीद, उनकी डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग" के लिए प्रदान की गई सेवा से संबंधित है। इसमें से 14,580.06 हजार रुपये की राशि विविध देनदारियों के अंतर्गत रखी गई थी, जिसमें से 3,717.90 हजार रुपये का भुगतान 20.09.2021 को कर दिया गया। शेष 10,862 हजार रुपये की राशि विधिक मामलों के अंतिम निपटारे तक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में "अनुसूची–4–प्रावधान" में विविध देनदारियों के अंतर्गत रखी गई है।

2) परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024–25 तक पूरी कर ली गई है।

3) अनुदान सहायता से प्राप्त परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	31.03.2025 को अवलिखित मूल्य	31.03.2024 को अवलिखित मूल्य
सोसायटी द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान की स्वीकृति और रिलीज में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार, पूरी तरह से या मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संपत्ति होंगी और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना उनका निपटान या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संपत्तियों को बेचने या अन्यथा निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा। तदनुसार, पूर्णतः या मुख्यतः पूंजी सहायता अनुदान (एमईआईटीवाई) से अर्जित इन परिसंपत्तियों को, उन पर लगाए गए मूल्यह्रास सहित, समिति के वित्तीय विवरण में "सहायता अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि तुलन पत्र की अनुसूची 5ख में दर्शाया गया है। इन परिसंपत्तियों पर वर्ष के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास, पूंजी सहायता अनुदान (एमईआईटीवाई) से लिया गया है, जैसा कि तुलन पत्र की अनुसूची 1 में दर्शाया गया है।	68,167	71,919

4) आयकर

आयकर विभाग ने एक धर्मार्थ संस्थान (धारा 12कख के तहत पंजीकरण) होने की छूट के दावे को अस्वीकार करते हुए विभिन्न मांगें की हैं। वित्त वर्ष 2018–19 तक उठाई गई कुल मांग रु. 6,18,203.85 हजार थी। इन मांगों को उचित अपीलीय मंचों पर चुनौती दी गई है/दी जा रही है। आज तक सभी निर्णय ईआरनेट इंडिया के पक्ष में हैं। विभिन्न अपीलीय मंचों पर अनुकूल निर्णय के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2013–14 और उसके बाद से पुस्तकों में कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि, रिफंड लंबित है क्योंकि अपील प्रभावी आदेश अभी तक विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। मूल्यांकन की तारीख से परे ब्याज को पुस्तकों में मान्यता नहीं दी गई है। 1,93,839.27 हजार रुपये की राशि (ईआरनेट इंडिया द्वारा भुगतान की गई, ईआरनेट इंडिया को देय टीडीएस रिफंड और मूल्यांकन आदेश में दर्शाया गया ब्याज) रिफंड के लिए लंबित है, जिसे "ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां" शीर्षक के तहत प्राप्य के रूप में दिखाया गया है और रिफंड के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

5) परियोजनाओं से राजस्व (जीआईए)	2024-25	2023-24
i) परियोजनाओं से राजस्व (जीआईए) जीआईए वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए तुलन पत्र की अनुसूची 2क में दिखाया गया है, साथ ही ऐसी परियोजनाओं पर किए गए व्यय को उसी अनुसूची में "परियोजनाओं के तहत व्यय (जीआईए)" के तहत एक कॉन्ट्रा आंकड़े के रूप में दिखाया गया है। जीआईए वित्त पोषित परियोजनाओं में ईआरनेट इंडिया द्वारा चालान की गई कोई भी राशि और जिसे 'आय और व्यय खाते' में आय के किसी अन्य विशिष्ट शीर्ष के तहत अलग से दिखाया जा रहा है, समान आंकड़ों की दोहरी रिपोर्टिंग से बचने के लिए **'अनुसूची 2क'** से कम कर दिया जाता है। ईआरनेट इंडिया द्वारा चालान की गई राशि को आय और व्यय खाते की अनुसूची 10 में अलग से दिखाया जा रहा है (वित्त वर्ष 2024–25 रु. 13,164 हजार; वित्त वर्ष 2023–24 रु. 50,083 हजार)।	12,02,015	24,00,190

ii) वित्तीय वर्ष के अंत में चालू परियोजनाओं के अंतर्गत शेष राशि को तुलन पत्र में **अनुसूची 2** में दर्शाया गया है।

6) विदेशी मुद्रा लेनदेन

i) **विदेशी मुद्रा में व्यय**	2024-25	2023-24
सदस्यता प्रभार	1,656	1,810

7) **लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक**	2024-25	2023-24
(i) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	375	375

नोट: उपरोक्त शुल्क में आउट–ऑफ–पॉकेट प्रतिपूर्ति और जीएसटी शामिल नहीं है, जिसके लिए इनपुट क्रेडिट लिया गया है।

8) ब्याज से आय

आय एवं व्यय खाते में दिखाई जाने वाली ब्याज आय, परियोजनाओं में जमा ब्याज को समायोजित करने के बाद शुद्ध आधार पर है।

9) बंद परियोजनाओं (जीआईए) के अंतर्गत बकाया शेष

बंद परियोजनाओं (जीआईए) के अंतर्गत बकाया शेष, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजक मंत्रालय/प्राधिकरण से प्राप्त/देय राशि को दर्शाता है। ईआरनेट इंडिया न तो देय राशि पर कोई ब्याज दे रहा है और न ही प्रायोजक मंत्रालय/प्राधिकरण से प्राप्त राशि पर कोई ब्याज दर्ज कर रहा है। इन्हें शुद्ध आधार पर दर्शाया गया है।

10) विविध

i) अनुसूची 2 में दर्शाई गई सभी परियोजनाओं से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय और नियमित कर्मचारियों के वेतन को परियोजना परिव्यय में संबंधित व्यय शीर्ष के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिकतम सीमा तक, सीधे संबंधित परियोजनाओं के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। अन्य प्रत्यक्ष व्यय, जो परियोजना परिव्यय का हिस्सा नहीं हैं और इन परियोजनाओं के अंतर्गत वसूले गए ईआरनेट ओवरहेडङ व्यावसायिक शुल्क से पूरे किए जाते हैं, उन्हें ईआरनेट परियोजना व्यय के अंतर्गत दिखाया जाता है।

ii) वीसैट परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व, जो निश्चित मूल्य समझौते पर आधारित हैं और जिनमें राजस्व बुकिंग के लिए जीएसटी अनुरूप चालान किया जाता है, को आय और व्यय खाते में "अंशदान शुल्क" शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है।

iii) वे परियोजनाएँ (वीसैट के अलावा) जो निश्चित मूल्य समझौते पर आधारित हैं और जिनमें राजस्व दर्ज करने के लिए जीएसटी अनुरूप चालान जारी किया जाता है, अनुसूची 2 में नहीं दर्शाई गई हैं और उन्हें आय–व्यय खाते के अंतर्गत परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व के रूप में दर्शाया गया है। इन परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय आय–व्यय खाते के अंतर्गत ईआरएनईटी परियोजना व्यय के रूप में दर्शाए गए हैं।

iv) प्रचालन व्यय में ट्रांसपोंडर लीज़ शुल्क, डब्ल्यूपीसी लाइसेंस शुल्क, बैकबोन शुल्क और मरम्मत एवं रखरखाव शुल्क आदि शामिल हैं, जो परियोजना के रूप में वीसैट से संबंधित हैं। इन मदों से संबंधित कुल व्ययों में से, जो विशेष रूप से परियोजना के रूप में वीसैट से संबंधित हैं, उन्हें आय–व्यय खाते की अनुसूची 15 के अंतर्गत ईआरनेट परियोजना व्यय के रूप में अलग से दर्शाया गया है।

v) विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अन्य पक्षों के शेष की पुष्टिध्समाधान किया जाना आवश्यक है।

vi) अनुसूची 3 के देय करों के अंतर्गत देय सेवा कर, कराधान बिंदु नियम, 2011 के लागू होने से पहले प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं से संबंधित बकाया राशि के संबंध में है। इन बकाया राशि के निपटान के लिए ईआरनेट इंडिया द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर सेवा कर का भुगतान किया जा रहा है।

11) जीएसटी आईटीसी, जिसका वर्ष के दौरान दावा किया गया है और जिसे वापस लिया गया है, तथा जो भविष्य में पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है, को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है तथा संबंधित देयता को विविध ऋणदाता प्रावधानों में दर्ज किया गया है। विक्रेता द्वारा भुगतान किए जाने पर इसे पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। यह प्रथा चालू वर्ष में पुनः प्राप्ति हेतु उपलब्ध जीएसटी आईटीसी और उससे संबंधित देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरणों की बेहतर प्रस्तुति के लिए अपनाई गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष से पूर्व की अवधियों से संबंधित, व्यय प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत विविध लेनदार प्रावधानों में ₹7,172.54 हजार (अनुसूची 4) की वृद्धि हुई है और जीएसटी क्रेडिट (अनुसूची 9) में भी तदनुरूप वृद्धि हुई है। लेखांकन पद्धति में इस परिवर्तन का आय और व्यय खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

12) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

13) इन वित्तीय विवरणों को महानिदेशक द्वारा 07.07.2025 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में

ईआरनेट इंडिया की ओर से

कृते बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या. 008186N

(आर.के. गुप्ता) **भागीदार** **सदस्यता सं. 086851**	**(विपिन अग्रवाल)** **निदेशक (वित्त)**	**(अरुण कुमार सिंह)** **रजिस्ट्रार एवं निदेशक**	**(संजीव बांझल)** **महानिदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2025